बिहार सरकार

श्री सुबाष सिंह
मानिनीय मंत्री
सहकारिता विभाग

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21

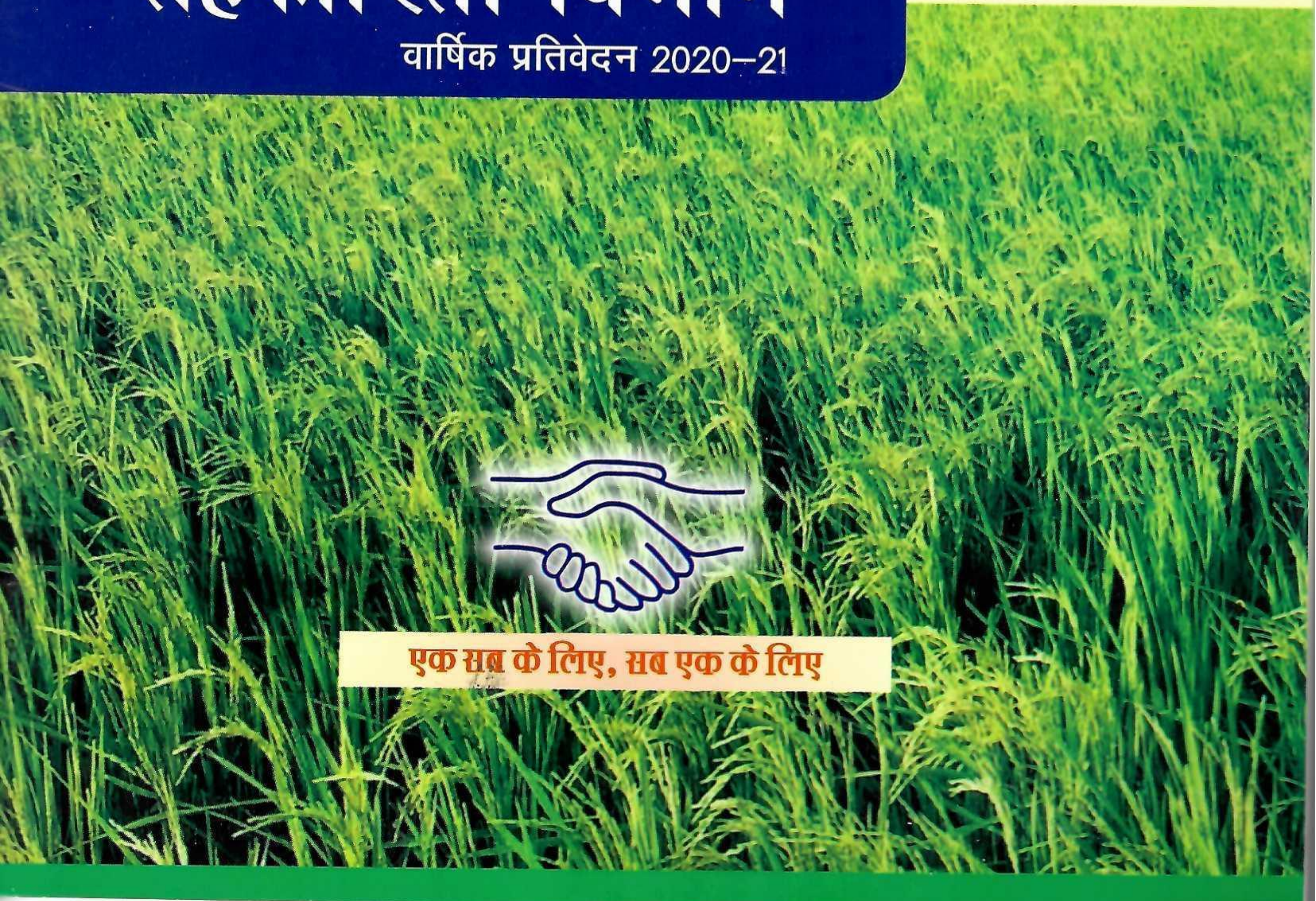

माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की समीक्षा

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ज्ञान भवन, पटना में सहकारिता विभाग के स्टॉल का अवलोकन

श्री सुभाष सिंह
माननीय मंत्री
सहकारिता विभाग

माननीय महोदय,

सहकारिता विभाग का वर्ष 2020–21 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता एक सशक्त माध्यम है इसलिए ''भारतीय संविधान के 97–वे संशोधन'' द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी–समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी–समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौपा गया है। सहकारिता को एक मूल्य आधारित सशक्त आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना वर्त्तमान समय की माँग है। वर्त्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना, फसलों की क्षति होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत योग्य किसानों हेतु क्षतिपुर्ति की व्यवस्था करना, पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना आदि विभाग के मुख्य कार्य है।

वर्त्तमान धान अधिप्राप्ति वर्ष (2020–21) में अधिप्राप्ति प्रक्रिया के सरलीकरण के पश्चात् राज्य के इच्छुक किसानों खासकर लघु एवं सीमांत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ससमय प्राप्त हो रहा है। राज्य के इच्छुक किसानों को अधिप्राप्ति हेतु अलग से निबंधन कराने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए वैसे सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने की पात्रता दी गई है जो कृषि विभाग से निबंधित हैं। पिछले धान अधिप्राप्ति वर्ष की तुलना में इस अधिप्राप्ति वर्ष में लक्ष्य को 30 लाख मे0टन से बढ़ाकर 45 लाख मे0टन कर दिया गया है तथा ससमय अधिप्राप्ति की व्यवस्था संचालन हेतु सघन अनुश्रवण एवं किसानों को ससमय भुगतान करने की व्यवस्था लागू की गई है।

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार अधिकाधिक जन–भागीदारी है। इस जन–भागीदारी के लिये पैक्सों में सदस्यता का आवेदन ''ऑन–लाईन'' प्राप्त किया जा रहा है। इसके माध्यम से अबतक 4.5 लाख सदस्य बनाये जा चुके है। राज्य में सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले एवं उपभोक्ताओं को बाजार से अपेक्षाकृत कम मूल्य पर तथा अधिक गुणवत्ता के साथ सब्जी उपलब्ध हो, के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने के साथ–साथ उत्पादों का मूल्य–संवर्द्धन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना का आधार तैयार किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सब्जी उत्पादकों की 10 जिलों में 172 प्रखण्ड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का निबंधन किया जा चुका है। इस योजना अन्तर्गत सब्जी उत्पादों के ब्राण्ड का नाम ''तरकारी'' है।

राज्य सरकार द्वारा फसल की क्षति होने पर क्षतिपुर्ति हेतु किसानों के हित में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया गया है। इस योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2019 में 386780 लाभान्वित किसानों को 279.50 करोड़ रूपये एवं रबी वर्ष 2019–20 में कुल–344144 लाभान्वित किसानों को 167.12 करोड़ रूपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। खरीफ 2020 मौसम हेतु 3929108 किसानों के द्वारा निबंधन कराया गया है तथा क्षतिग्रस्त पंचायतों के निबंधित किसानों का सत्यापन के पश्चात् मार्च–अप्रैल 2021 में भुगतान किया जायेगा। रब्बी 2020–21 हेतु 09 अधिसूचित फसलों के लिए किसानों के द्वारा निबंधन कराया जा रहा है।

पैक्सों में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की प्रथम चरण की कार्रवाई चल रही है। चयनित पैक्सों के द्वारा आवश्यक कृषि उपकरणों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से कराया जा रहा है। पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना के पश्चात् लघु एवं सीमान्त किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच सुनिश्चित होगी तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

पैक्सों में कर्मियों के कार्यों की क्षमता में वृद्धि एवं पारदर्शिता तथा पैक्सों के कार्यों का पर्यवेक्षण मुख्यालय एवं जिला स्तर से भी सहजता से होने के उद्देश्य से पैक्सों के कम्प्युटरीकरण हेतु पत्र नाबार्ड को प्रेषित है। सहकारी संस्थाओं में वितीय अनुशासन बना रहे, इस उद्देश्य से विभागीय अंकेक्षकों एवं सनदी लेखाकारों की सहायता से लगभंग 90 प्रतिशत पैक्सों का अंकेक्षण करा लिया गया है। अल्पकालीन कृषि साख समितियों के अतिरिक्त मत्स्यपालन, बुनकर, गृह निर्माण, दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, शहद उत्पादन एवं प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में भी सहकारी व्यवस्था एवं प्रबंधन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। बाजार की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रण में सहकारी आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

मैं अत्यंत आशान्वित हूँ कि सहकारिता के माध्यम से राज्य की उद्यमशीलता को एक नयी दिशा देकर राज्य के सर्वांगीण विकास की नयी कहानी लिखना संभव है।

विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	01
2	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	04
	i. कृषि रोड मैप (2017–22)	04
	ii. अधिप्राप्ति	06
	iii. बिहार राज्य फसल सहायता योजना	08
	iv. सहकारी अधिसंरचना	11
	v. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना	13
	vi. समेकित सहकारी विकास परियोजना	15
	vii. सहकार भवन	17
	viii. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना	18
	ix. वार्षिक योजना	19
3	सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ	20
	i. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)	20
	ii. राज्य सहकारी बैंक लि०	22
	iii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०	23
	iv. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	24
4	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	25
5	बिहार राज्य भंडार निगम	26
6	सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेश	31
परिशिष्ट– I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ एवं महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	35
परिशिष्ट– II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	36
परिशिष्ट– III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	37
परिशिष्ट– IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	39
परिशिष्ट– V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	40

1. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

क्र०सं०	योजना			
1.	**अधिप्राप्ति**			
	(क) खरीफ 2019–20 मौसम (धान)	6228 (चयनित) 5424 (कार्यशील) पैक्स / व्यापारमण्डल	20.01 लाख मे०टन (279402 किसानों से)	
	(ख) रब्बी 2020–21 मौसम (गेहूँ)	4393 (चयनित) 185 (कार्यशील) पैक्स / व्यापारमण्डल	4920.98 मे० टन (980 किसानों से)	
	(ग) खरीफ 2020–21 मौसम (धान)	6467 (चयनित) 6159 (कार्यशील) पैक्स / व्यापार मण्डल	23.54 लाख मे०टन (01.02.2021) (318099 किसानों से)	
2.	**बिहार राज्य फसल सहायता योजना**	**निबंधित कृषकों की संख्या**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**	**किसानों को भुगतान की गई राशि**
	(क) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2019)	24,94,495	3,86,780	279.50 करोड़ रूपये
	(ख) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2019–20)	19,55,519	3,44,144	167.12 करोड़ रूपये
	(ग) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2020)	39,29,108	–	–
	(घ) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2019–2020) 26.01.2021	9,61,702	–	–
3.	**बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना**			
	योजनान्तर्गत त्रि–स्तरीय सहकारी व्यवस्था के तहत प्रखंड स्तर पर पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, प० चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी जिलों में कुल 172 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का निबंधन हो चुका है।	वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल मो० 3.34 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल मो० 16.5 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि. (PVCS) में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि. को नोडल एजेन्सी के रूप में चयनित। 33 PVCS में निबंधित भूमि में से 28 PVCS में सिविल संरचना निर्माण हेतु भवन निर्माण निगम को राशि हस्तांतरित तथा अरेराज, संग्रामपुर, राजापाकड़, विथान आदि में निर्माण कार्य प्रगति पर है। दोनों संघ द्वारा दिनांक– 30.01.2021 तक कुल–30.17 करोड़ रू. का सब्जी व्यवसाय किया गया है।	
4.	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राज्य योजना**			
	(क) वर्ष 2018–19 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य –1250	332 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	
	(ख) वर्ष 2018–19 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य –90	42 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	

क्र॰सं॰	योजना		
	(क) वर्ष 2019–20 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य –1250	245 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(ख) वर्ष 2020–21 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य –750	77 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(ग) वर्ष 2019–20 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य –40	51 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(घ) वर्ष 2020–21 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य –30	12 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
5.	**समेकित सहकारी विकास परियोजना**		
	(क) पूर्व में कार्यान्वित जिले	गोपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, आरा, छपरा, सीवान, कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली नालन्दा, जहानाबाद एवं अररिया	24496.57 लाख रू॰ की लागत से।
	(ख) कार्यान्वित किये जा रहे जिले	मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णियाँ	49255.99 लाख रू॰ की लागत से।
	(ग) जिला जो आच्छादन के प्रक्रिया में है।	16 जिला लखीसराय, जमुई, अरवल, पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बाँका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा, शेखपुरा एवं समस्तीपुर	
6.	**समेकित सहकारी विकास परियोजना की भौतिक उपलब्धि**		
	(क) पैक्सों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में)	1389	
	(ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	448 का कार्यादेश निर्गत, 310 पूर्ण, 138 निर्माणाधीन	
	(ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में)	93	
	(घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	18 का कार्यादेश निर्गत, 12 पूर्ण, 6 निर्माणाधीन	
	(ङ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक/सदस्य	पूर्व में कार्यान्वित जिलों में 152673	कार्यान्वित की जा रही जिलों में 1928 (दिसम्बर, 2020 तक)
	समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि (वर्ष 2020–21)	1310.79 लाख रूपये का व्यवसाय (दिसम्बर, 2020 तक)	
7.	**अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण**		
	(क) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण वित्तीय वर्ष 2018–19	सदस्य– 90654	23323.85 लाख रूपये
	(ख) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण वित्तीय वर्ष 2019–20	सदस्य–77506	19770.60 लाख रूपये
	(ग) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण। वर्ष 2020–21 (दिनांक–31.12.2020 तक)	सदस्य–38113	10773.95 लाख रूपये

क्र॰सं॰	योजना		
8.	**पैक्सों में सदस्यता अभियान**		
	राज्यान्तर्गत 8463 पैक्सों में 1.20 करोड़ (एक करोड़ बीस लाख) सदस्य है, जिसमें लगभग 36 (छत्तीस) लाख महिलायें हैं। राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 4.5 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनाया जा चुका है।		
9.	**मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना**		
	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो।	इस योजना के लिए प्रथम वर्ष 2020–21 में 2927 पैक्सों के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रू0 की दर से कुल मो0–439.05 करोड़ रूपये प्राप्त है।	राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। पैक्सों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) अर्द्धवार्षिक किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी। सम्प्रति इस वित्तीय वर्ष में 2927 पैक्सों को कृषि संयंत्र योजना के तहत प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए GeM Portal के माध्यम से कृषि संयंत्र के क्रय की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।
10.	**सहकार भवन**		
	सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक स्थान पर अवस्थित कराने के उद्देश्य से सहकार भवन का निर्माण।	राज्य योजना अंतर्गत कुल लागत 56.33 करोड़ से पाँच प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी, भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ एवं 17 जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली, जहानाबाद, अररिया तथा सीतामढ़ी में कुल 22 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।	
11.	**पैक्स कम्प्युटरीकरण**		
	भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के पैक्सों का चरणबद्ध तरीके से तीन वित्तीय वर्षों में कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 8463 पैक्सों के कम्प्युटरीकरण के लिये खर्च का वहन 60% भारत सरकार 35% राज्य सरकार एवं 5% संबंधित समिति द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना की प्रतीक्षारत अवधि में राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से पैक्सों के कम्प्युटरीकरण का कार्य क्रियान्वित है। इसके लिए NIC द्वारा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर में राज्य के पैक्सों के अभिलेख/आंकड़ों का इन्ट्री/अपलोड किया जा रहा है। अभी तक राज्य के 6310 अंकेक्षित पैक्सों के आंकड़ों को इस सॉफ्टवेयर में इन्ट्री किया जा चुका है। पैक्सों के डिजिटाईजेशन हेतु वित्तीय वर्ष–2019–20 में राज्य के 4580 पैक्सों को प्रति पैक्स 10,000 (दस हजार) रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी है।		

2. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

I. कृषि रोड मैप (2017–2022)

राज्य के कृषि रोड मैप 2017–22 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सहकारी समितियाँ अधिसंरचनात्मक–संस्थागत–तकनीकी–प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रभावकारी हस्तक्षेप के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृतसंकल्पित है। आधारभूत संरचना खासकर भंडारण क्षमता में वृद्धि, विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर की स्थापना, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का कार्यान्वयन, किसानों को कृषि आदानों की उपलब्धता, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन, रोड मैप के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभाग महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पैक्सों का सुदृढ़ीकरण एवं सदस्यता, वृद्धि, पैक्सों का कम्प्यूटराईजेशन तथा सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण हेतु परिकल्पित हैं।

1. आधारभूत संरचना का विकास :

(क) सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण : वर्तमान में सहकारी समितियों की कुल भंडारण क्षमता 12.043 लाख मे॰ टन है। 2017–2022 की अवधि में इसमें 10 लाख मे॰ टन क्षमता की और वृद्धि की जानी है, जिसका अनुमानित व्यय 700 करोड़ रुपये है।

(ख) 02 मे॰ टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर की स्थापना : अधिप्राप्ति को सहज बनाने तथा राज्य खाद्य निगम को ससमय चावल आपुर्त्ति सुनिश्चित करने हेतु 2017 से 2022 की अवधि में पैक्स/व्यापार मंडलों में 260 विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुमानित व्यय 201 करोड़ रुपये है।

❖	**कृषि रोड मैप**		
	(I) वर्ष 2017–18 में पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण हेतु	लक्ष्य (राज्य योजना) 914	उपलब्धि (राज्य योजना, RKVY) 196 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(II) वर्ष 2017–18 में पैक्स/व्यापार मंडल में गैसीफायर–सह–चावल मिल की स्थापना हेतु।	80 पैक्स/व्यापार मंडल चावल मिल (ड्रायर सहित) एवं 13 पैक्स/व्यापार मंडल (ड्रायर रहित) कुल–93	35 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
❖	**कृषि रोड मैप**		
	(I) वर्ष 2018–19 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य–1250	332 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(II) वर्ष 2018–19 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य–90	42 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
❖	(I) वर्ष 2019–20 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य–1250	245 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(II) वर्ष 2020–21 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य–750	77 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(III) वर्ष 2019–20 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य–40	51 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(IV) वर्ष 2020–21 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य–30	12 पूर्ण (बैकलॉग सहित)

2. बिहार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना :

राज्य के सब्जी उत्पादन, संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु यह अत्यंत अहम् योजना है, जिसका क्रियान्वयन त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से इस प्रकार किया जायेगा कि सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध हो सके। इस योजना को कृषि रोड मैप 2017–2022 में शामिल किया गया है।

3. संस्थागत विकास :

(क) राज्यान्तर्गत 8,463 पैक्सों में 1.20 करोड़ (एक करोड़ बीस लाख) सदस्य है, जिसमें लगभग 36 (छत्तीस) लाख महिलायें है। राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 4.5 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनायो जा चुका है।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना की प्रतीक्षारत अवधि में राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से पैक्सों के कम्प्युटरीकरण का कार्य क्रियान्वित है। इसके लिए NIC द्वारा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर में राज्य के पैक्सों के अभिलेख/आंकड़ों का इन्ट्री/अपलोड किया जा रहा है। पैक्सों के डिजिटाईजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के 4,580 पैक्सों को प्रति पैक्स 10,000 (दस हजार) रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी है।

4. समेकित सहकारी विकास परियोजना का विस्तार :

राज्य के सहकारी समितियों के समग्र विकास हेतु समेकित सहकारी विकास परियोजना का विस्तार राज्य के वैसे जिलों में किया जायेगा, जो अभी तक इस परियोजना से अनाच्छादित हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जिससे कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन हो सके। अगले पाँच वर्षों में परियोजना के कार्यक्रमों पर 400 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि का व्यय किया जायेगा।

5. मानव संसाधन विकास :

कृषि रोड मैप 2017–2022 के अंतर्गत सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा का आधुनिकीकरण, सदस्यों एवं विभागीय कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के कार्यक्रम प्रावधानित हैं, जिस हेतु 38.81 करोड़ की राशि खर्च की जानी है।

कृषि रोड मैप एवं सहकारिता

- कृषि प्रधान राज्य की ग्रामीण अधिसंरचना विकास में निर्णायक हस्तक्षेप
- सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के माध्यम से भण्डारण क्षमता में वृद्धि के साथ सहकारी समितियों की भौतिक पहचान
- खाद्य प्रसंस्करण (धान का नमी प्रबंधन, चावल मिल, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन) के क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से महत्वपूर्ण पहल
- पैक्सों में ऑन लाईन सदस्यता के माध्यम से प्रजातंत्रीकरण
- पैक्सों की कार्यप्रणाली का कम्प्यूटरीकरण
- समेकित सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से चयनित जिलों में संभावना के आधार पर सभी प्रकार के सहकारी समितियों का विकास
- सहकारी प्रशिक्षण हेतु सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा का आधुनिकीकरण

II. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कृषकों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है।

- वर्ष 2020—21 के लिए 45.00 लाख मे०टन धान क्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 2020—21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (साधारण धान) 1,868/— रुपये एवं ग्रेड—। धान के लिए 1,888/— रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया गया है।
- इस वर्ष भी किसानों को गनी बैग मद में रू० 25/—प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान राज्य सरकार के मद से किया जा रहा है, जिसका लाभ किसानों को लगातार प्राप्त हो रहा है।
- इस वर्ष अधिप्राप्ति कार्य को और अधिक पारदर्शी एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाने हेतु कृषि विभाग में निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति कार्य कराया जा रहा है, साथ ही निबंधन में LPC एवं अन्य कागजातों की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
- रैयत कृषकों के लिए धान बिक्री की सीमा को प्रति कृषक 250 क्विंटल एवं गैर रैयत कृषकों के लिए प्रति कृषक 100 क्विंटल किया गया है ।
- इस वर्ष भी निर्धारित सीमा के अन्तर्गत प्रति कृषक अधिकतम दो बार में अपना धान बिक्री कर सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है।
- अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता हेतु Online Procurement Management System के अन्तर्गत Mobile Application के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन, पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में इस वर्ष किसानों का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन 48 घण्टे के भीतर किये जाने का प्रावधान है।
- इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु 3,500 करोड़ रुपये ऋण हेतु राजकीय गारंटी दी गई है।
- पारदर्शी व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान एवं उसके भुगतान सहित सभी प्रकार के आंकड़े Public Domain के माध्यम से सर्व सुलभ किये गये हैं।

धान अधिप्राप्ति (मौसम 2020—21) व्यवस्था का सरलीकरण

- कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से कृषि विभाग की निबंधन संख्या के आधार पर अधिप्राप्ति की व्यवस्था।
- रैयत श्रेणी के किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति की सीमा 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल और गैर—रैयत किसानों के लिए 75 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल निर्धारित।
- नवम्बर 2020 से सघन धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था।
- अधिप्राप्ति करने वाली समितियों के चयन/क्रियाशील समितियों की संख्या में वृद्धि।
- जिला स्तर पर किसान सलाहकारों के माध्यम से इच्छुक किसानों का धान अधिप्राप्ति हेतु सर्वेक्षण।

वर्षवार धान अधिप्राप्ति–लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	धान (मात्रा लाख मे॰टन)	
	लक्ष्य	उपलब्धि
2016–17	30.00 (सांकेतिक)	18.42
2017–18	30.00 (सांकेतिक)	11.84
2018–19	30.00 (सांकेतिक)	14.16
2019–20	30.00 (सांकेतिक)	20.01
2020–21	45.00 (सांकेतिक)	20.70 (दिनांक 27.01.2021)

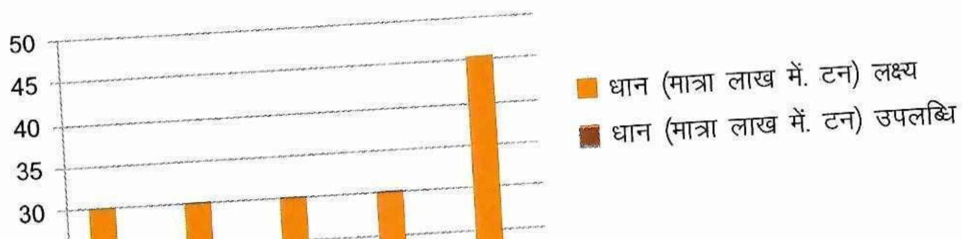

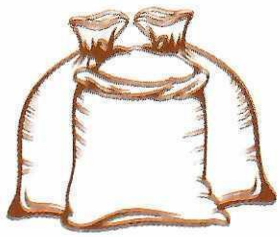

III. बिहार राज्य फसल सहायता योजना

प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी श्रेणी के किसानों के हित में एक समावेशी योजना के रूप में खरीफ 2018 मौसम से बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य में लागू की गई है।

1. **उद्देश्य :** प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, सुखाड़ तुषारापात आदि कारणों से फसलों के उत्पादन में हुए ह्रास की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए, उन्हें आगामी फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना इस योजना का मूल उद्देश्य है।

2. **इन्डेमनिटि स्तर :** राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70 प्रतिशत इन्डेमनिटि स्तर का प्रावधान किया गया है।

3. **बिहार राज्य फसल सहायता योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :**

   (i) **आच्छादित क्षेत्र :** अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा फसल कटनी हेतु अधिसूचित क्षेत्र योजनान्तर्गत आच्छादित होंगे।

   (ii) **आच्छादित फसल :** अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचित फसलों में से इस योजना के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) द्वारा चयनित फसल आच्छादित फसल माना जाएगा।

   (iii) **आच्छादित किसान :**

   (क) **रैयत किसान :** ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हो।

   (ख) **गैर–रैयत किसान :** ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हो। गैर–रैयत किसान श्रेणी में एक परिवार (आर्थिक–सामाजिक जनगणना के अनुसार) से एक सदस्य इस योजना के तहत् निबंधन करा सकेंगे।

   (iv) **आवेदन पत्र :** इस योजना के तहत् आच्छादन हेतु सभी इच्छुक किसानों को प्रत्येक मौसम में योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन कराना अनिवार्य है। ऑनलाईन निबंधन के द्वारा ही आवेदन मान्य होगा तथा अनिबंधित किसानों का आवेदन अमान्य होगा।

4. **फसल कटनी प्रयोग :** इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 04 एवं प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम 16 तथा प्रत्येक जिला स्तरीय फसल हेतु 24 फसल कटनी प्रयोग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित करना अपेक्षित है।

5. **योजना का नोडल विभाग :** इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सहकारिता विभाग नोडल विभाग है। नोडल विभाग इस योजना हेतु गठित राज्य स्तरतीय समन्वय समिति (SLCC) के अनुमोदन से इस योजना हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु सक्षम है।

6. **इस योजना के कार्यान्वयन हेत समय–सीमा :** बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ मौसम का मई से जुलाई माह तक एवं रबी मौसम का अक्टूबर से दिसम्बर माह तक पात्र किसानों का ऑनलाईन निबंधन अवधि निर्धारित है। राज्य के किसानों के हित में आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

7. **सहायता राशि का मूल्यांकन एवं सहायता राशि की अधिसीमा :**

(i) अधिसूचित फसल हेतु संबंधित पंचायत/प्रखण्ड का विगत 07 वर्षों के औसत उपज दर पर निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज दर के सापेक्ष वर्त्तमान मौसम में संबंधित फसल के फसल कटनी प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज दर में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत में) की गणना करते हुए अधिकतम 02 हेक्टेयर भूमि हेतु सहायता राशि अनुमान्य होगी।

(ii) थ्रेशहोल्ड उपज दर के सापेक्ष वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रूपये प्रति हेक्टेयर के दर से अधिकतम 15,000 रूपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(iii) थ्रेशहोल्ड उपज दर के सापेक्ष वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20,000 रूपये सहायता राशि अनुमान्य है।

8. **सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान :** निबंधित किसानों के लिए फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर अनुमान्य सहायता राशि ऑनलाईन पोर्टल पर स्वतः परिकलित एवं परिलक्षित होने के पश्चात् बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ पटना द्वारा किसानों के खाते में DBT के माध्यम से सहायता राशि हस्तांतरित कर दिया जायेगा। इस योजना के तहत् किसानों को कोई राशि नहीं देनी है, बैंक नहीं जाना है तथा सहायता राशि स्वतः उनके खाते में हस्तांतरित होनी है।

वर्षवार एवं मौसमवार बिहार राज्य फसल सहायता योजना की प्रगति

मौसम	निबंधित किसानों की संख्या				सत्यापन प्रक्रिया के उपरान्त स्वीकृत आवेदनों की संख्या	लाभार्थी किसानों की संख्या एवं राशि		अभ्युक्ति
	कुल	रैयत	गैर–रैयत	रैयत एवं गैर–रैयत		संख्या	राशि (करोड़ में)	
खरीफ 2018	1150527	515314	635213	—	453005	453005	368.64	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
रबी 2018–19	1754350	865839	888511	—	180667	180667	74.40	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
खरीफ 2019	2494495	1120162	1370287	4046	398619	386780	279.50	भुगतान प्रक्रियाधीन
रबी 2019–20	1955519	831812	1095328	28372	397311	344144	167.12	भुगतान प्रक्रियाधीन
खरीफ 2020	3929108	1624204	2244960	59944		सत्यापन उपरान्त सहायता राशि मार्च/अप्रैल 2021 में भुगतेय		
रबी 2020–21	961702	290394	648147	23161		निबंधन प्रक्रियाधीन		

योजनान्तर्गत निबंधित किसानों की संख्या

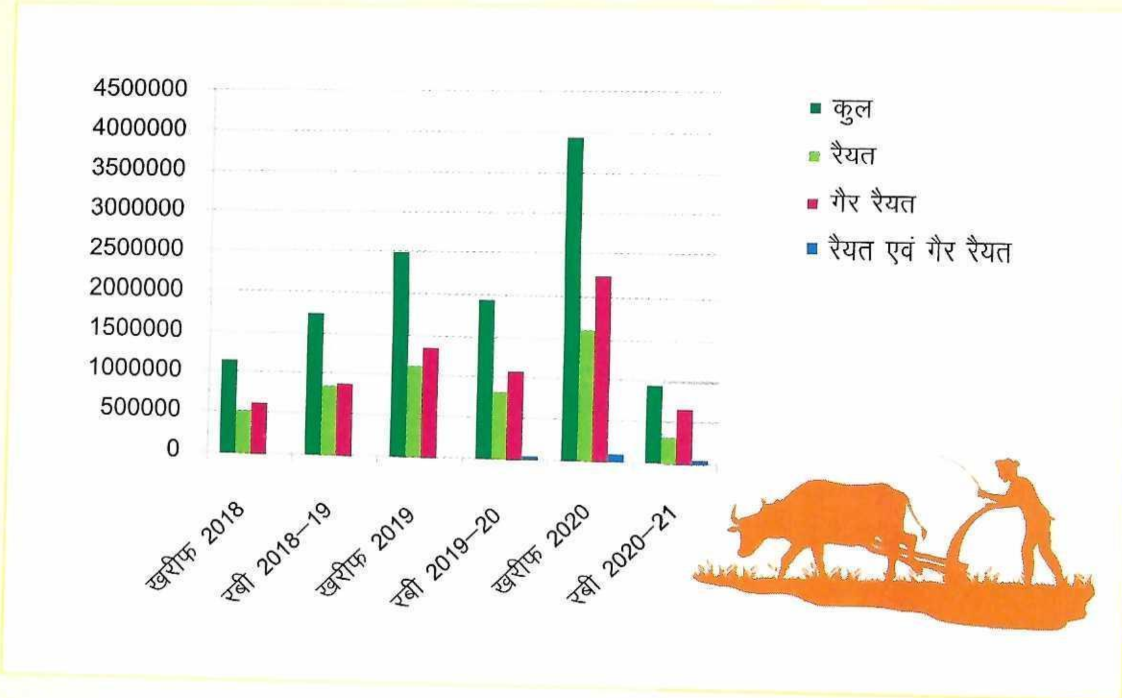

योजनान्तर्गत लाभार्थी किसानों की संख्या

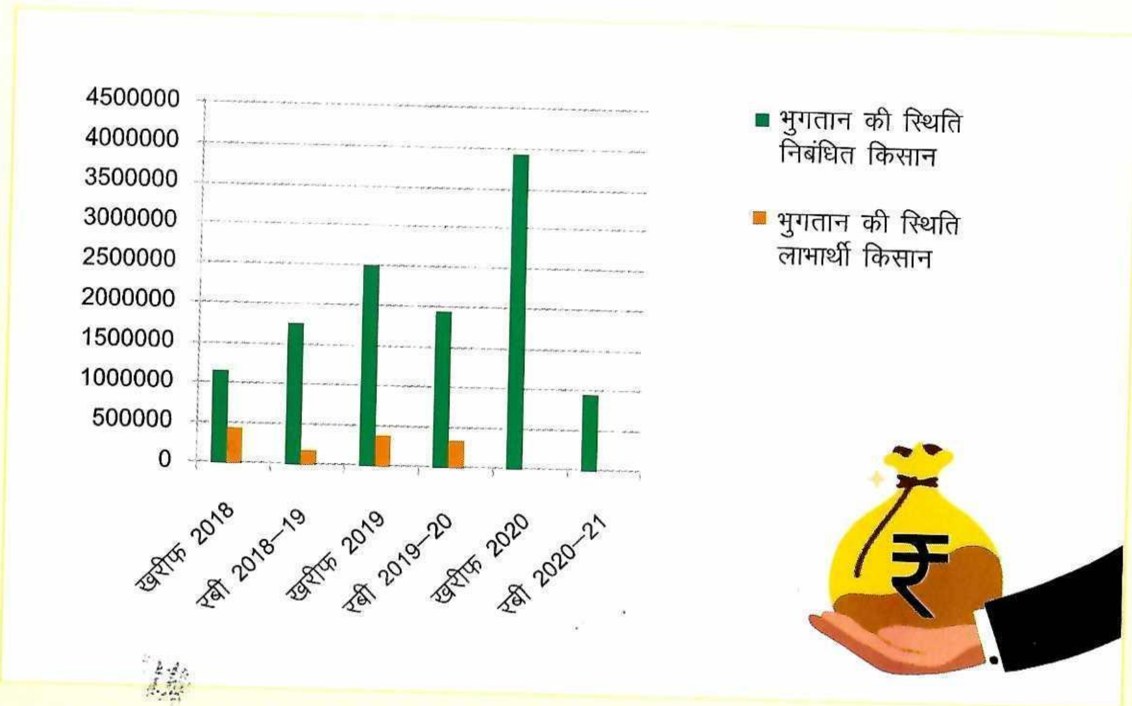

IV. सहकारी अधिसंरचना

(क) भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि

राज्य में भंडारण क्षमता की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि रोड मैप (2012–17) में इसे प्राथमिकता देते हुए प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया तथा इसके तहत वर्ष 2017 तक, पैक्स एवं व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता के गोदाम का निर्माण कराते हुए सहकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता में कुल 10.75 लाख मे॰टन अभिवृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध कृषि रोड मैप 2012–17 अंतर्गत विगत 05 वर्ष में राज्य योजना के माध्यम से कुल 2996 पैक्सों / व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता का गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र के भंडारण क्षमता में 6.859 लाख मे॰टन की अभिवृद्धि करायी गई।

कृषि रोड मैप (2017–22) में पैक्स / व्यापार मंडल में विभिन्न क्षमता के गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी 8463 पैक्स एवं 521 व्यापार मंडल का अपना गोदाम उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 128 करोड़ रूपये के लागत से 914 पैक्स / व्यापार मंडलों में कम से कम 200 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा 277 पैक्स / व्यापार मंडलों को 38.78 करोड रूपया राशि उपलब्ध कराते हुए 196 गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.501 लाख मे॰टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है।

वर्ष 2018–19 में 175 करोड़ रूपये के लागत से सहकारी क्षेत्र में पैक्स / व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण कराते हुए 2.50 लाख मे॰टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 389 पैक्स / व्यापार मंडलों को 83.13 करोड़ रूपये की राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2018–19 में (बैकलॉग सहित) 332 पैक्स / व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.704 लाख मे॰टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है। वर्ष 2019–20 में 44.97 करोड़ रूपये के लागत से 98 पैक्स / व्यापार मंडल में 200 / 500 / 1000 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य था। इन सभी पैक्स / व्यापार मंडल को गोदाम निर्माण हेतु कुल लागत का 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें से 52 पैक्स / व्यापार मंडल से व्यय राशि की उपयोगिता एवं गोदाम निर्माण का अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात शेष 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2019–20 में अब तक (बैकलॉग सहित) 245 पैक्सों / व्यापार मण्डल में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.656 लाख मे॰ टन क्षमता की अभिवृद्धि हुई है।

वर्त्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 5933 पैक्स / व्यापार मंडलों में 1000 / 500 / 200 मे॰ टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 12.013 लाख मे॰ टन है, जबकि 641 गोदाम निर्माणाधीन है जिससे 1.833 लाख मे॰टन क्षमता का निर्माण हो सकेगा।

(ख) धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

राज्य में पैक्स / व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के प्रसंस्करण हेतु कृषि रोड मैप (2012–17) में कुल 350 चावल मिल गैसीफायर संयंत्र के साथ RKVY योजना के माध्यम से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 345 चावल मिल सह–गैसीफायर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया था, जिसमें वर्ष 2016–17 में निर्मित 62 चावल मिल (बैकलॉग के साथ) भी सन्निहित था।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में 35 एवं 2018–19 में 42 एवं 2019–20 में अबतक (बैकलॉग सहित) 5 पैक्स / व्यापार मंडलों में चावल मिल का निर्माण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा कराते हुए अबतक 4 पैक्स / व्यापार मंडलों में चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है, एवं 53 (बैकलॉग सहित) चावल मिल निर्माणाधीन / लम्बित है।

कृषि रोड मैप (2017–22) में कुल 260 पैक्स / व्यापार मंडलों में 02 मे॰टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 80 चावल मिल के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दी गई है। साथ ही, 13 चावल मिल जो वर्ष 2016–17 में निर्मित कराया जाना था, किन्तु कतिपय कारण से इसका निर्माण नहीं हो पाया था, उसका भी वर्ष 2017–18 में पुर्नवैधिकरण किया गया है। फलतः वर्ष 2017–18 में 93 चावल मिल की स्थापना हेतु 69.69 करोड़ रूपये राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2017–18 में 35 (बैकलॉग का) चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है एवं वर्ष 2018–19 में (बैकलॉग सहित) 42 एवं वर्ष 2019–20 में (बैकलॉग सहित) 5 पैक्सों / व्यापार मंडलों में चावल मिल की स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वर्ष 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक) में 12 (बैकलॉग सहित) समितियों में चावल मिल की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। 53 समितियों (बैकलॉग सहित) में स्थापना कार्य निर्माणाधीन है।

(ग) ड्रायर की स्थापना

पैक्स / व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबंधन हेतु राज्य में पूर्व से स्थापित चावल मिल के साथ विभाग द्वारा 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आगामी 05 वर्ष में चरणवार कुल 441 पूर्व स्थापित / निर्माणाधीन स्वीकृत चावल मिल के साथ लगाये जायेंगे।

इस योजना के तहत् वर्ष 2017–18 में 40 पैक्स / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु आवश्यक राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई थी एवं 39 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है।

वर्ष 2018–19 में 38 पैक्स / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 6.84 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई थी एवं 34 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है।

वर्ष 2019–20 में 57 पैक्स / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 10.26 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है।

राज्य में सहकारी अधिसंरचना : महत्वपूर्ण बिन्दु

- सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता सृजन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य।
- सम्प्रति 5933 पैक्स / व्यापार मंडलों में 12.013 लाख मे. टन की भण्डारण क्षमता सृजित।
- निर्माणाधीन 641 गोदाम के माध्यम से 1.833 लाख मे. टन भण्डारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य।
- धान ड्रायर के माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु ससमय नमी प्रबंधन एवं चावल मिल के माध्यम से अधिप्राप्त किये गये धान का प्रसंस्करण।

V. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

- ❖ बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाना एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति किया जाना है।
- ❖ योजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की अवधारणा की गई है जिसमें प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादकों की प्राथमिक समिति (PVCS), कुछ जिलों के प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समितियों को मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ तथा राज्य स्तर पर फेडरेशन गठित किया जाना है।
- ❖ योजना अन्तर्गत राज्य के प्रमुख सब्जी उत्पादक जिलों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समिति बनाते हुए इन जिलों को मिलाकर चार (04) संघ का गठन किया जाना है।
- ❖ पूरी योजना के लिए 1750.1496 करोड़ राशि प्रावधानित है।
- ❖ योजना के प्रथम चरण में इसे 5 (पाँच) जिलों–पटना, नालन्दा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगुसराय में लागू किया गया है जहाँ अबतक कुल 97 प्रखंडों में से 96 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ निबंधित हो चुकी है तथा इन प्रखंड स्तरीय समितियों को मिलाकर हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰, पटना का निबंधन हो चुका है। पटना संघ द्वारा 05.03.2019 से कार्य प्रारंभ किया गया है।

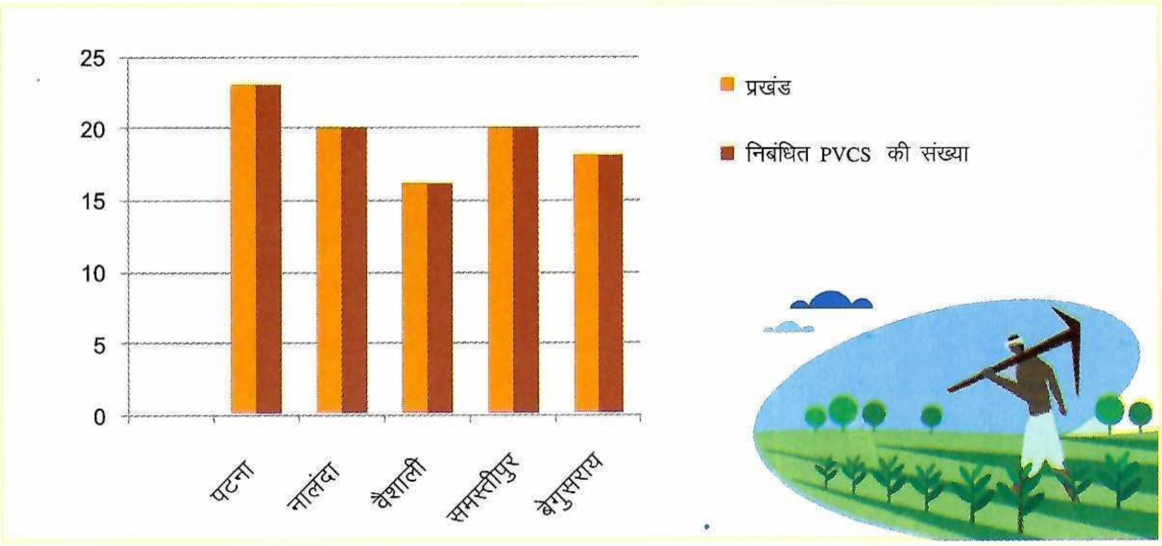

- ❖ योजना के अगले चरण में पाँच जिलों यथा पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी को सम्मिलित करते हुए तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰ पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) का भी गठन दिसम्बर 2019 में किया जा चुका है। तिरहुत संघ के क्षेत्र अंतर्गत कुल 83 प्रखंडों में से अबतक 76 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियों का निबंधन हो चुका है। तिरहुत संघ द्वारा 27 मार्च 2020 से कार्य प्रारंभ किया गया है
- ❖ इस प्रकार पटना संघ एवं तिरहुत संघ अंतर्गत 10 जिलों में कुल 180 प्रखंडों में से 172 PVCS का गठन / निबंधन हो चुका है।

❖ शीर्ष स्तर पर फेडरेशन फरवरी 2020 से गठित एवं कार्यरत है।

❖ इस योजना का ब्रांड–''तरकारी'' है। तत्काल संघ द्वारा सब्जी व्यवसाय के वास्तविक अनुभव व करने एवं इस में निहित चुनौतियों के आकलन के उद्देश्य से कार्यरत मोबाईल वैन के माध्यम से प मोतिहारी शहरी क्षेत्र में खुदरा सब्जी बिक्री की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक समितियों द्वारा स्थानीय मंडी में थोक विपणन का भी कार्य किया जा रहा है।

❖ पटना संघ एवं तिरहुत संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 86,16,097 / – (छियासी लाख सोलह सन्तानवे) रूपये का तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 24 जनवरी 2021 तक) संघो के द्वारा 28,63,48,267 (अठाईस करोड़ तिरसठ लाख अड़तालीस हजार दो सौ सरसठ) रू सब्जी का व्यवसाय किया गया है।

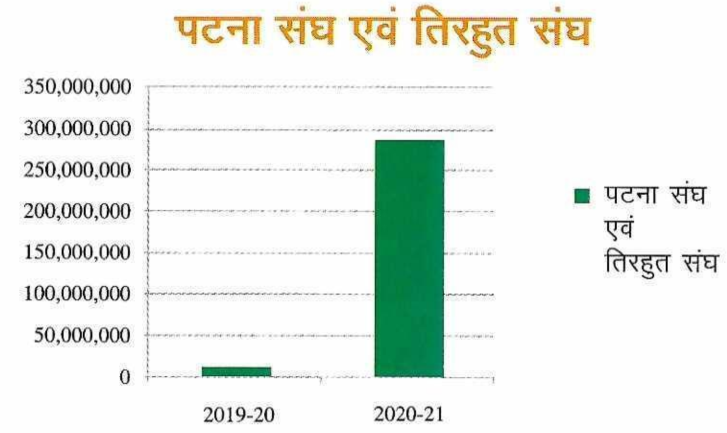

पटना एवं तिरहुत संघ अंतर्गत वर्त्तमान में 10,000 से ज्यादा सब्जी उत्पादक किसान प्रखंड स्तरीय उत्पादक समितियों के सदस्य बन चुके हैं। सदस्यता को सुविधाजनक, व्यापक एवं पारदर्शी ब उद्देश्य से ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।

❖ बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत सभी आधारभूत संरचना के निर्माण क बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को नोडल एजेंसी निर्धारित किया गया है। वर्त्तमान उपलब्धता के अनुसार 28 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों (10,000 वर्ग फीट भूमि निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई निगम द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।

❖ यह योजना बिहार राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

- वर्त्तमान में कार्यरत पटना एवं तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ के अतिरिक्त दो अन्य सं का गठन प्रस्तावित
- योजना का आरंभिक अवस्था से ही मजबूत डिजिटल पलेटफॉर्म के माध्यम से संचालन
- योजना के ''तरकारी'' ब्राण्ड को लोकप्रिय बनांने हेतु पारंपरिक एवं सोशल मिडिया के माध्यम अभियान
- राज्य के बाहर सब्जी की आपूर्ति हेतु संस्थागत समझौते

VI. समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य में सहकारिता को सबल बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से परियोजनाएँ चलायी जा रही है। इस परियोजना के तहत जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों/व्यापार मंडलों में :

- अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय)।
- व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास।
- मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि के माध्यम से स्वरोजगारका सृजन करना है।

इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है। योजना से कार्यान्वयन हेतु स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50–50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित्त राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
पूर्व में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

(राशि लाख रु० में)

1. परियोजना लागत एवं व्यय

क्रम	जिला का नाम	ऋण/चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी/एल०डी०/यू०डी० के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय 31.03.2020 तक
1	गोपालगंज	295.620	631.620	292.000	1,219.240	1,153.910
2	मधुबनी	287.650	704.470	212.800	1,204.920	1,179.070
3	गया	313.340	607.680	215.390	1,136.410	1,059.180
4	सीतामढ़ी	299.150	517.700	218.630	1,035.480	1,019.670
5	आरा	304.680	645.950	162.600	1,113.230	1,080.760
6	छपरा	280.600	673.500	205.620	1,159.720	1,068.980
7	सीवान	296.570	683.080	164.570	1,144.220	1,090.670
8	कैमूर	750.720	40.770	337.110	1,128.600	1,084.550
9	खगड़िया	1,055.250	68.490	468.110	1,591.850	1,183.550
10	शिवहर	698.800	131.280	355.270	1,185.350	984.000
11	वैशाली	2,664.690	334.125	1,257.935	4,256.750	3,503,700
12	नालंदा	2,070.512	293.950	956.758	3,321.220	2,796.770
13	जहानाबाद	605.075	605.075	242.080	1,452.230	1,271.110
14	अररिया	1,572.550	1,572.550	402.250	3,547.350	2938.112
	कुल योग :	**11,495.207**	**7,510.240**	**5,491.123**	**2,4496.570**	**2,0230.482**

गोदाम निर्माण

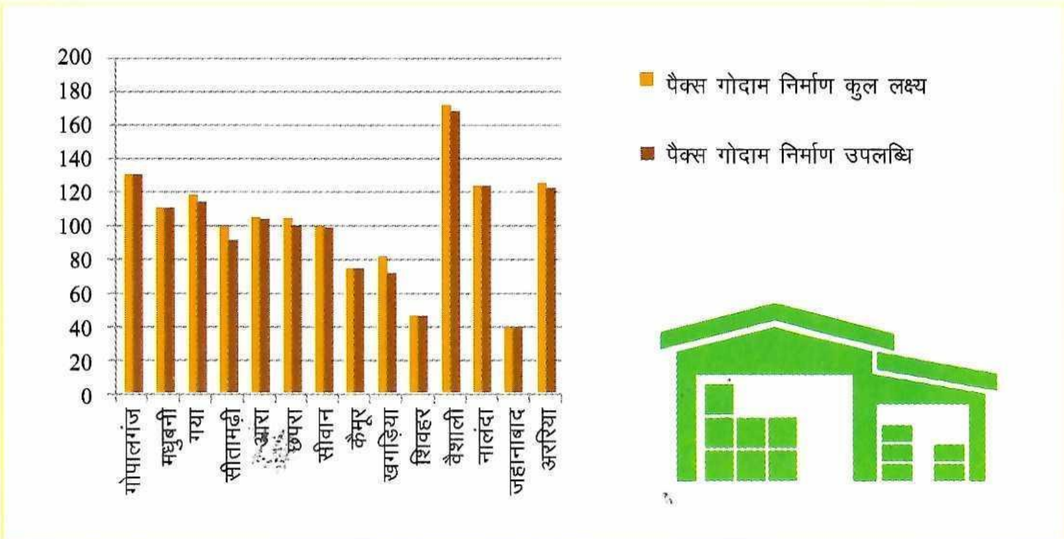

VII. सहकार भवन

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने, उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने एवं अभिलेखों के उचित रख–रखाव के उद्देश्य से एक ही परिसर में स्थान आवंटित करने के लिए संकल्प संख्या–3485 दिनांक–07.11.2017 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में सहकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में G+2 एवं अन्य जिला मुख्यालय में G+1 सहकार भवन का निर्माण किया जाना है। प्रमंडल स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के कार्यालय हेतु स्थान आवंटित है। प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक हेतु स्थान आवंटित है तथा द्वितीय तल पर उत्कृष्टता केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित है। जिला स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय तथा प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए स्थान निर्धारित है।

सहकार भवन–एक जनोपयोगी व्यवस्था

- जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालय एक छत के नीचे
- सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए सुगम व्यवस्था
- प्रशासनिक समन्वय की सहजता

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थान आवंटित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में सहकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में सहकार भवन निर्माण हेतु राज्य योजना अन्तर्गत कुल लागत 56.33 करोड़ (छप्पन करोड़ तैंतीस लाख रूपये मात्र) से पाँच प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ एवं 17 (सतरह) जिला मुख्यालयों यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बाँका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, अररिया तथा सीतामढ़ी में कुल–22 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

VIII. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो। इस योजना के लिए प्रथम वर्ष 2020–21 में 2927 पैक्सों के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रू. की दर से कुल मो.–439.05 करोड़ रूपये प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50 प्रतिशत ऋण (ब्याज सहित) एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। पैक्सों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) अर्द्धवार्षिक किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी। सम्प्रति इस वित्तीय वर्ष में 2927 पैक्सों को कृषि संयंत्र योजना के तहत प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए GeM Portal के माध्यम से कृषि संयंत्र के क्रय की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। कृषि उपकरणों के क्रय के लिए प्रत्येक जिला से सहकारिता प्रसार पदाधिकरियों एवं कार्यपालक सहायकों को जेम पोर्टल पर क्रय से संबंधित सघन प्रशिक्षण दिया गया है और उनके द्वारा अपने जिलों में संबंधित पदाधिकारियों/अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने का काम किया गया है।

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

- कृषि प्रधान राज्य की कृषि व्यवस्था के यांत्रिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल
- प्रतिस्पर्धात्मक दर पर लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच संभव
- कृषि यंत्रों के चयन में पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को प्राथमिकता
- चयनित पैक्सों के द्वारा पारदर्शिता एवं मितव्ययिता के दृष्टिकोण से जेम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपकरणों का क्रय प्रक्रियान्तर्गत

IX. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2020–21 के लिए राज्य स्कीम अन्तर्गत 97994.00 लाख रू॰ (पुनरीक्षित) का उपबंध उपलब्ध है जिसके विरूद्ध 47154.07 लाख रू॰ का व्यय किया गया। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अन्तर्गत 43905.00 लाख रूपया का उपबंध उपलब्ध है।

वर्ष 2020–21 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है: (31.01.2021 तक)

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम		उपबंधित राशि			व्यय की गयी राशि
			राज्य योजना पुनरीक्षित	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति)		546.10		546.10	
2	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		4498.88		4498.88	
3	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रीमियम)		1.00		1.00	
4	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		1.00		1.00	
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना		65200.00		65200.00	41522.42
6	एन॰सी॰डी॰सी॰ सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना		247.62		247.62	147.79
7	सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति		1.00		1.00	
8	विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण		100.00		100.00	
9	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार		100.00		100.00	
10	सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय		52.00		52.00	
11	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान		10500.00		10500.00	1008.18
12	बिहार राज्य भण्डार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान		1.00		1.00	
13	बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि हेतु ऋण (अधिप्राप्ति)		1.00		1.00	
14	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (अनुदान)		3850.00		3850.00	1308.30
15	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (निवेश)		1250.00		1250.00	412.50
16	केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान		1.00		1.00	
17	केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिस्सा–पूँजी में अंशदान		1.00		1.00	
18	सहकारिता विभाग के भवनों का निर्माण (माँग सं॰–03)		1000.00		1000.00	
19	पैक्सों/व्यापारमंडलों में ड्रायर निर्माण हेतु अनुदान		1800.00		1800.00	
20	प्रबंधकीय अनुदान		6000.00		6000.00	1936.04
21	पैक्सों का कम्प्युटरीकरण		1.00		1.00	
22	मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना		518.00		518.00	
23	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना)	केन्द्रांश	1394.00		1394.00	818.84
		राज्यांश	929.40		929.40	
	(क) राज्य स्कीम का योग		97994.00		97994.00	47154.07
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम						
1	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (अनुदान)		21952.50		21952.50	4335.00
2	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (चक्रीय पूँजी)		21952.50		21952.50	4335.00
3	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (सहायक अनु॰)					
4	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (चक्रीय पूँजी)					
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का योग		43905.00		43905.00	8670.00

3. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने वाले विशेष कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने, कृषि इनपुट्स की व्यवस्था करने तथा कृषि उपज के विपणन की वित्तीय व्यवस्था सहकारी बैंकों के द्वारा की जाती है।

I. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराने के निमित सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में तथा ससमय अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 31.12.2020 तक 989175 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 140981.57 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को Debit-cum-Rupay card मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया गया है।

विगत 5 वर्षो में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है :

(रू० लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	सदस्य की संख्या	उपलब्धि	लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि का प्रतिशत
2015–16	100000	191889	45562.64	45.56 प्रतिशत
2016–17	100000	163162	39129.56	39.13 प्रतिशत
2017–18	103636	143836	31785.66	30.67 प्रतिशत
2018–19	60063	90654	23323.85	38.83 प्रतिशत
2019–20	50000	77506	19770.60	39.54 प्रतिशत

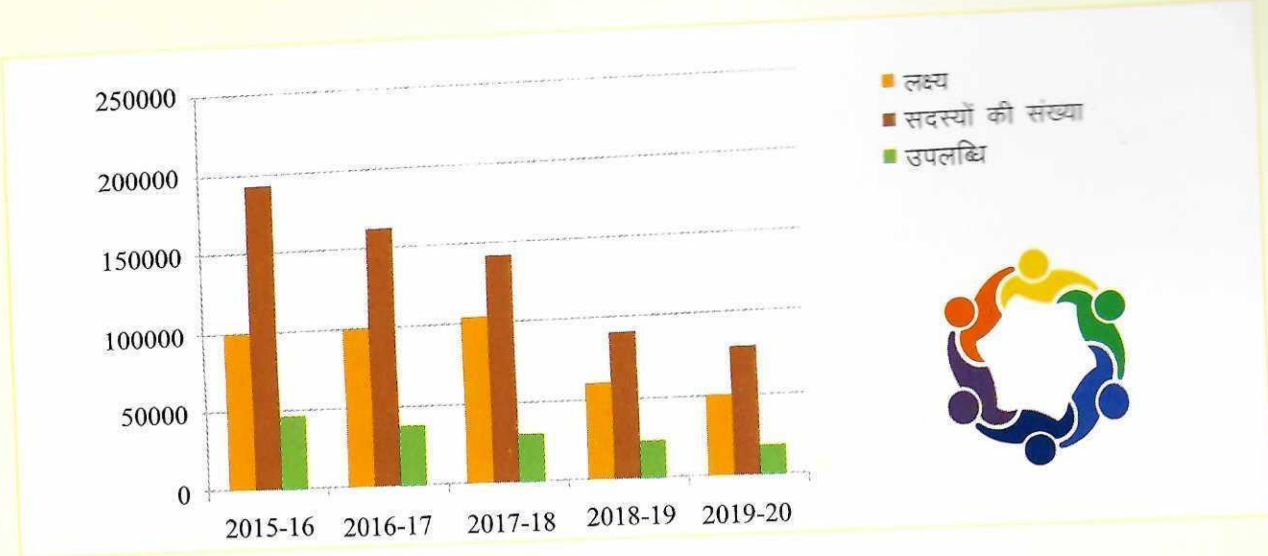

विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण मांग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है:

(रू० लाख में)

वर्ष	मांग	वसूली	अवशेष	प्रतिशत
2015–16	72531.53	33285.83	39245.70	45.89 प्रतिशत
2016–17	75495.27	27122.41	48372.86	35.93 प्रतिशत
2017–18	77873.54	29732.76	48140.78	38.18 प्रतिशत
2018–19	75811.50	21106.78	54704.72	27.84 प्रतिशत
2019–20	75015.27	20290.44	54724.83	27.05 प्रतिशत

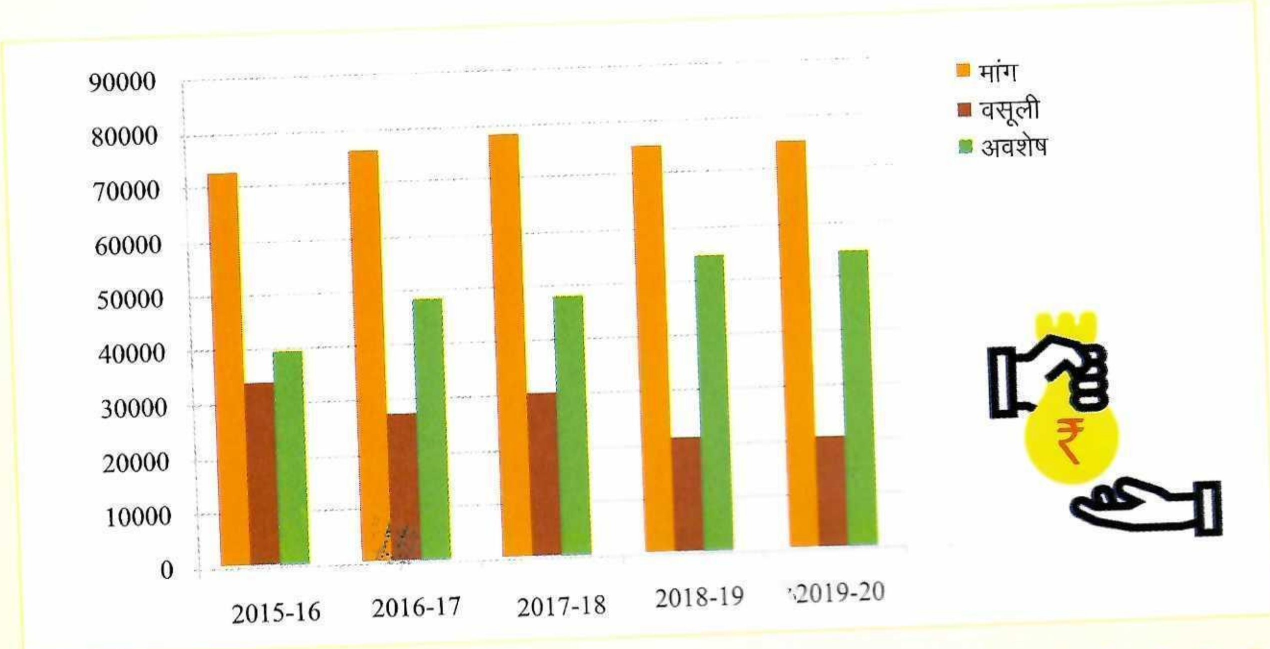

II. राज्य सहकारी बैंक लि०

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनान्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 11 शाखायें कार्यरत हैं जो पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्त्तन आया है जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखाओं मे कोर बैंकिंग लागू है। वर्त्तमान में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियामक मापदण्डों का अनुपालन कर रही है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् हैः

(राशि लाख रू० में)

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.12.2020
1	हिस्सा पूंजी	3000.37	3000.37	2954.60	2954.6	3015.8
2	स्टेच्यूटरी रिजर्व	13291.10	14738.97	16720.44	19086.06	21528.79
3	अन्य रिजर्व	26509.98	28739.98	30895.30	33081.24	35346.7
4	ओन्ड फण्ड	56875.78	60987.64	67265.57	72128.48	76769.78
5	जमा	137720.91	116183.75	134849.08	123318.59	122630.63
6	उधार	145293.83	80981.08	108819.74	154248.05	113094.93
7	कार्यशील पूंजी	377876.95	300655.50	338680.04	365973.41	327336.58
8	निवेश	144199.03	73731.03	86531.72	152038.01	161320.67
9	बकाया ऋण	195086.52	200510.98	207178.83	181950.74	139700.58
10	अन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफिट	3619.66	3962.95	4731.23	4885.47	4757.4
11	ग्रौस एन०पी०ए०	8812.56	7718.69	9972.61	8874.46	8874.46

III. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 23 (तेईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों मे केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनके शाखा कम्प्यूटरीकृत है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है:

(राशि लाख रू॰ में)

क्र.	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	हिस्सा पूंजी	जमा राशि	उधार	सुरक्षित निधि	ऋण एवं अग्रिम
1	नालंदा	1125.71	16661.63	7064.57	1188.29	15562.35
2	पाटलीपुत्रा	752.84	32799.56	11587.38	4952.22	21485.43
3	मगध (गया)	1096.91	5878.32	13183.00	1766.23	15718.68
4	नवादा	1953.08	10533.65	6796.58	2772.32	11106.46
5	आरा	1159.51	39890.79	546.26	1600.32	15564.72
6	रोहतास	5248.57	19297.69	21506.67	1701.60	34853.18
7	भागलपुर	1085.26	15911.65	4692.55	6060.00	8581.36
8	मुंगेर	3614.61	15210.34	6492.6	2168.31	12938.84
9	बेगूसराय	846.99	19303.58	4880.00	1377.16	7820.15
10	पूर्णियाँ	2646.54	14619.88	8930.90	2300.59	16552.21
11	मुजफ्फरपुर	3998.68	5850.33	3211.65	460.74	4593
12	सीतामढ़ी	344.55	12483.43	4241.14	532.24	6319.99
13	रोहिका (मधुबनी)	2765.26	9632.28	10447.94	2099.26	13714.25
14	बेतिया	459.95	13198.17	1617.64	1157.44	8980.16
15	मोतिहारी	1602.55	12222.39	3392.77	3659.38	11622.85
16	सिवान	930.38	24797.56	4400.00	535.18	8061.51
17	गोपालगंज	720.39	33337.66	2855.72	4165.35	8626.72
18	औरंगाबाद	2050.19	13101.59	4962.08	2818.86	16521.65
19	खगड़िया	850.66	2779.92	11098.48	204.22	9260.13
20	कटिहार	2421.19	5313.72	3989.19	994.02	6755.05
21	वैशाली	922.49	4408.81	2173.95	50.30	2364.00
22	समस्तीपुर	1463.19	8867.69	4827.8	1494.47	10043.74
23	सुपौल	266.72	2.19	0	1.04	0

IV. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

राज्य में सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं प्राथमिक स्तर पर कुल–8463 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) पर कार्यरत है। पैक्स राज्य के कृषकों के साथ साथ राज्य के विकास का आधार स्तंभ है। पैक्स का प्रबंधन 13 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता हैं जिनका निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्ष पर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाता है। पैक्स के प्रबंध समिति में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 2 पद पिछड़ा वर्ग 2 पद अतिपिछड़ा वर्ग, 2 पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

पैक्स का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के लिए कृषि इनपुट की व्यवस्था करना एवं उनके उत्पादों के विपणन में सहयोग करना है। इस क्रम में पैक्स द्वारा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की प्राथमिक इकाई के रूप में अपने सदस्यों को सहकारी बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही उर्वरक, बीज, कीटनाशक इत्यादि की उपलब्धता हेतु भी कार्य किया जाता है। पैक्सों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा लघु एवं सीमान्त कृषकों तक पहुँचाया जा रहा है। पैक्सों द्वारा जमावृद्धि व्यवसाय एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानों का भी संचालन किया जाता है।

पैक्सों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण रुप से सरकार द्वारा संचालित अधिप्राप्ति कार्य के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके उत्पादों (धान/गेहूँ) का क्रय किया जाता है। पैक्सों द्वारा सभी लघु एवं सीमांत किसानों तक कृषि कार्य संबंधी सभी सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। इसके तहत अब तक 4.5 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनाया जा चुका है। इस प्रकार पैक्सों में कुल सदस्यों की संख्या 1.20 करोड़ हो गयी है। इनमें महिला सदस्यों की संख्या लगभग 36 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के 17.78 लाख सदस्य बनाये गये है; जो सहकारिता से जुड़ कर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में सहयोग प्राप्त कर रहे है।

ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में पैक्स की अवधारणा

- कृषि चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु पैक्स को मजबूत संस्था के रूप में विकसित करना।
- पैक्स क्षेत्रान्तर्गत योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों हेतु ऑन–लाईन माध्यम से सदस्य बनने की व्यवस्था।
- पैक्सों के आन्तरिक कार्यकलाप में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम प्रक्रियान्तर्गत।
- पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना प्रक्रियान्तर्गत।

4. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते है। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन/त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों के अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के अलावे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें परिपत्रानुसार समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

विगत 3 वर्षों में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है : (रू० लाख में)

क्र.	समितियों की कुल संख्या		अंकेक्षण वर्ष	अंकेक्षण की स्थिति	
	पैक्स	व्यापार मंडल		पैक्स	व्यापार मंडल
1	8463	521	2017–18	7701	397
2			2018–19	7701	397
3			2019–20	4706	282

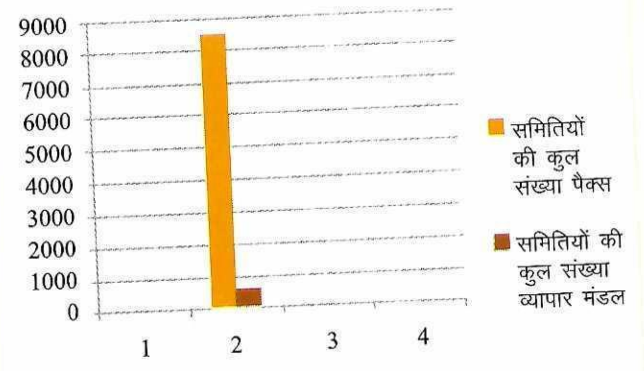

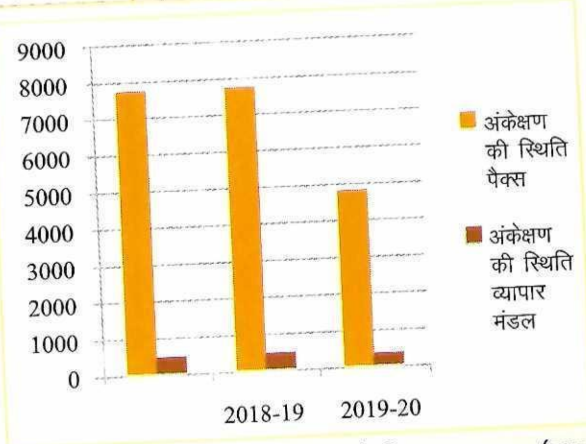

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अनुसार सहकारी समितियाँ अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम–से–कम एक बार, इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा करायेगी। ऐसा अंकेक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत या तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबंधक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा।

प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के समान्य निकाय द्वारा नियुक्त उप–धारा (2) में विर्निर्दिष्ट अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म द्वारा किया जायेगा।

जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ नियत तारीख से (90) नब्बे दिनों के भीतर निबंधक, सहयोग समितियाँ लेखाओं का अंकेक्षण करायेंगे। ऐसे अंकेक्षण संचालन करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

5. बिहार राज्य भंडार निगम

वित्तीय वर्ष 2020–21 में निगम की उपलब्धि एक झलक में:

बिहार राज्य भंडार निगम (Bihar State Warehousing Corporation) केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का एक संयुक्त लोक उपक्रम है, जो विशेष केन्द्रीय विधान दी वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 (The Warehousing Act, 1962) एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन संचालित है।

1. स्थापना:

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) पटना की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956) के अधीन केन्द्रीय भंडार निगम (CWC) के अनुमोदन के पश्चात् मार्च, 1957 में बिहार सरकार विकास (सहकारिता) विभाग की अधिसूचना संख्या–3330 दिनांक–29.03.1957 के द्वारा हुई। उक्त अधिसूचना के द्वारा इसका मुख्यालय, पटना में निर्धारित किया गया। कालक्रम में Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956 के स्थान पर Warehousing Act 1962 लागू हुआ, जिसके अन्तर्गत सम्प्रति बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (बिहार राज्य भंडार निगम) अर्थात BSWC कार्यरत है।

बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित – ''राज्य भंडारण एजेंसी'':

बिहार राज्य भंडार निगम को बिहार सरकार सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–3250 दिनांक:12.12.1996 के द्वारा "राज्य भंडारण एजेंसी" के रूप में घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, लोक उद्यमों एवं उपक्रमों को यह निदेशित किया गया है कि भविष्य में वे अपने स्तर से निजी गोदामों को भाड़े पर नहीं लेंगे बल्कि वे स्थायी रूप से अपनी आवश्यकता बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को अधिसूचित करेंगे। बिहार राज्य भंडार निगम, पटना अपने गोदामों के उपलब्ध होने पर आरक्षण प्रदान करेगा। गोदाम अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य विभागों / स्वशासी निकायों / लोक उद्यमों एवं उपक्रमों / सहकारी समितियों अथवा निजी श्रोतों से गोदाम को भाड़े पर लेकर अधियाची संस्थान को उपलब्ध कराएगा।

E – भंडारण

- बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों के संचालन प्रक्रिया को डिजीटल करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर।
- Warehouse Management Solution (WMS-Software) प्रणाली लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना
- WMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त कृषि उत्पादों, अन्य अधिसूचित उत्पादों का आगत, रख–रखाव एवं निर्गत का Live Transaction
- गोदामों में संचालित होने वाले सभी कार्यों का समयपरक द्रुत गति से प्रबंधन एवं अनुश्रवण

2. उद्देश्य:

- ➢ सामग्रियों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण।
- ➢ खाद्यान्न, उर्वरक, दवा एवं अधिसूचित सामग्रियों का भंडारण।

3. **कार्य :**

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) का मुख्य कार्य निम्नवत् है :

- राज्य में कृषि उत्पादों / खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीज तथा कृषि संयंत्रों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु गोदाम का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के संचयन के लिए राज्य में गोदामों का परिचालन करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए परिवहन एवं हथलन व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के एजेन्सी के रूप में कृषि उत्पाद एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय, भंडारण एवं वितरण में सहयोग करना।
- सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्धारित कार्यों का संपादन।

4. **हिस्सा पूँजी/अंश–पूँजी (Share Capital & Paid up Capital) :**

निगम का अधिकृत अंश पूँजी 10.00 करोड़ है। निगम में केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार का क्रमशः 50.50 प्रतिशत हिस्सा पूँजी है। सम्प्रति केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी 642॰00 लाख है, जिसकी विवरणी अग्रांकित है :–

हिस्सा पूँजी (Share Capital)	
केन्द्रीय भंडारण निगम	500.00
बिहार सरकार	500.00
कुल रु.	1000.00
प्रदत्त अंश पूँजी (Paid up Capital)	
केन्द्रीय भंडारण निगम	321.00
बिहार सरकार	321.00
कुल रु.	642.00

5. **लाभांश (Dividend) :**

अंशधारियों केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार को यथानिदेशित रूप से वित्तीय वर्षवार लाभांश देय है।

6. **मुख्य सामग्रियों का भंडारण :**

खाद्यान्न, दवा, उर्वरक, सीमेंट, दाल, बीज, जूट, सूर्यमुखी बीज, कलई, उड़द, मसूर, डी.डी.टी. अभियंत्रण सामग्री, पुस्तक, कागज, तौलाई मशीन, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक मत–पेटी।

7. **मुख्य जमाकर्त्ता**

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफको, जनगणना निदेशालय, आर॰सी॰एफ॰ लि॰, पुस्तक निगम, बी॰एस॰एन॰एल॰, शिक्षा परियोजना, व्यापारी, कृषक, बिहार मेडीकल

इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि॰, अल्ट्राटेक, ओरिगो लिमिटेड इत्यादि। संप्रति निगम का अधिकांश गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षित है।

8. **भंडारण क्षमता :**

- वर्त्तमान भंडारण क्षमता : 8.30 लाख मे. टन।
- अद्यतन गोदाम निर्माण विवरणी:

(क)	निगम द्वारा स्वनिर्मित गोदाम	2,09,493 में. टन
(ख)	कृषि रोड मैप योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	3,10,000 मे. टन
(ग)	पी.ई.जी. योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	2,20,000 मे. टन
(घ)	किराया का गोदाम	91,109 मे. टन
	कुल क्षमता	**8,30,602 मे. टन**

9. **भंडारण शुल्क :**

बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम का संसूचित दर सामान्य रूप से प्रभावी है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के संदर्भ में यथा निदेशित दर व्यवस्था है। वर्त्तमान भंडारण शुल्क विवरणी अग्रानुसार है:

खाद्यान्न	रु. 104.20 प्रति मे. टन प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम)
	रु. 64.00 प्रति मे. टन प्रति माह (राज्य खाद्य निगम)
उर्वरक	रु. 64.00 प्रति मे. टन प्रति माह (CWC दर पर)
क्षेत्रफल दर	रु. 14.70 प्रति वर्गफीट प्रति माह (CWC दर पर)

- **मानव बल :**

कुल स्वीकृत पद	–	526
निगम में कार्यरत कुल मानव बल (नियमित)	–	91
निगम में कार्यरत कुल मानव बल (संविदा)	–	48
निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत मानव बल	–	05
निगम में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मानव बल	–	131

- **स्थापना संरचना :**

निगम में कार्यरत प्रमंडल : 6 (मुजफ्फरपुर, पटना, मगध, पूर्णिया, भागलपुर, एवं राँची)

कुल भंडारण गृहों की संख्या : 63 (बिहार 53, झारखण्ड 10)

- **बिहार राज्य के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों के नाम :**

मुजफ्फरपुर प्रमंडल	पटना प्रमंडल	मगध प्रमंडल	पूर्णियाँ प्रमंडल	भागलपुर प्रमंडल
मुजफ्फरपुर	आरा	गया (दुर्गावाड़ी)	गुलाबबाग	बरौनी
बेतिया	आरा पी.ई.जी.	जहानाबाद	गुलाबबाग पी.ई.जी.	भागलपुर
बेतिया पी.ई.जी.	बिहटा	वारसलीगंज	कसबा	नौगछिया
मोतीहारी	फतुहा	सासाराम	जानकीनगर	खगड़िया पी.ई.जी.
मोतीहारी पी.ई.जी.	बिहारशरीफ	मोहनियाँ	फारबिसगंज	बेगुसराय पी.ई.जी.
सीतामढ़ी	बिहारशरीफ पी.ई जी.	मोहनियाँ पी.ई.जी.	कटिहार	बेगुसराय
समस्तीपुर	मसौढ़ी	नटवार	मधेपुरा (सिंहेश्वरस्थान /रसना)	जमुई पी.ई.जी.
छपरा	बक्सर	औरंगाबाद पी.ई.जी. (ए.एन.रोड)	मुरलीगंज	लखीसराय
नरकटियागंज		औरंगाबाद पी.ई.जी. (ओबरा)	गढ़बनैली	
गोपालगंज पी.ई.जी.		गया (मानपुर)	किशनगंज पी.ई जी.	
हाजीपुर (घोसवर /सराय)			सहरसा	
दरभंगा पी.ई.जी.			नरपतगंज	
झंझारपुर				
सिवान				
रक्सौल				

➢ **झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों के नाम :**

राँची प्रमंडल				
पाकुड़	चतरा	दुमका	गिरीडीह	गोड्डा
लोहरदग्गा	बोकारो	गढ़वा	डालटनगंज	सरायकेला

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21में निगम की उपलब्धि एक झलक में:

व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि :

बिहार राज्य भंडार निगम (Bihar State Warehousing Corporation), केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का व्यवसाय आधरित एक संयुक्त लोक उपक्रम है, जो विशेष केन्द्रीय विधान दी वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 (The Warehousing Act, 1962) एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन संचालित है। इस निगम का खाद्यान्न के

वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस निगम अन्तर्गत सम्प्रति कुल भंडारण क्षमता 8.30 लाख मे.टन है। इसके व्यवसाय एवं लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि रही है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :

	2018–19	2019–20	2020–21
कुल आय	रु. 28,700.84 लाख	रु. 31,450.80 लाख	रु. 49,548.91 लाख (अनुमानित)
लाभ	रु. 3,575.39 लाख	रु. 3,745.49 लाख	रु. 3,841.33 लाख (अनुमानित)

➢ **भौतिक उपलब्धि :**

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे.टन)	आभोग (लाख मे.टन)	आभोग प्रतिशत
1.	2018–19	8.08	6.28	78 प्रतिशत
2.	2019–20	8.16	6.75	83 प्रतिशत
3.	2020–21 (अनुमानित)	8.30	6.99	84 प्रतिशत

➢ **वित्तीय उपलब्धि :**

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे.टन)	सकल आय (लाख रु.)	लाभ (लाख रु.)
1.	2018–19	8.08	28700.84	3575.39
2.	2019–20	8.16	31450.80	3745.49
3.	2021–21 (अनुमानित)	8.30	49548.91	3841.33

अन्यान्य महत्वपूर्ण उपलब्धि :

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 में निगम द्वारा अपने स्त्रोत से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में मो० 50.00 लाख रुपये (पचास लाख रुपये) अनुदान माह अप्रैल 2020 में दिया गया है।
2. कोविड–19 कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर बिहार राज्य में आये हुए प्रवासी श्रमिकों/उद्यमी को शेखपुरा जिला में टेलरिंग (रेडिमेड गारमेंटस) तथा जूट एवं हैंडिक्राप्ट कलस्टर स्थापित कर रोजगार देने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी कलस्टर योजना' के कार्यान्वयन हेतु 20 लाख रूपये व्यय की स्वीकृति के साथ जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को 20 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराया गया है।
3. भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आच्छादित सभी भंडारगृहों में Depot Online System (DOS) कम्प्यूटर प्रणाली कार्यान्वित की जा चुकी है।
4. केन्द्रीय भंडारण निगम के Warehouse Management Solutions (WMS) कम्प्यूटर प्रणाली कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।
5. प्रबंधन के अथक प्रयास से बाढ़ प्राकृतिक आपदा वर्ष 2017 में फारबिसगंज भंडारगृह के गोदाम में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का लंबित बीमा दावा राशि रु. 1,29,37,052.00 (एक करोड़ उनतीस लाख सैंतीस हजार

बावन) बीमा कम्पनी से माह जून–2020 में प्राप्त किया गया है एवं कॉम्फेड (COMFED) द्वारा निगम के बिहारशरीफ भंडारगृह में जनवरी–2017 से नीरा प्लांट के लिए भाड़े पर लिए गए गोदाम का भंडारण शुल्क जनवरी–2017 से ही लंबित था, निगम जून–2020 में जनवरी–2017 से मई–2020 के भंडारण शुल्क का भुगतान प्राप्त करने में सफल रहा, जो कुल रु.1,55,37,860.00 होता है।

6. निगम के व्यापार में निरंतर विस्तार हेतु सीवान जिला में 4232 मे. टन, लखीसराय में 1946 मे. टन, नरपतगंज में 5954 मे. टन एवं मानपुर में 3400 मे. टन एवं सराय में 2047 यानि कुल 17,582 मे.टन गोदाम क्षमता की वृद्धि की गयी जिसके फलस्वरूप प्रति माह लगभग 16–17 लाख रूपये की आमदनी में वृद्धि हुई।

7. वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का AGM कराया गया है एवं लाभांश CWC एवं बिहार सरकार को दिया गया है।

8. वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का संवैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार को समर्पित है।

6. सहकारिता विभाग में आई.टी. का समावेश

I. बिहार राज्य सहकारिता बैंक:

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वर्तमान बैंकिंग प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों की भाँति तकनिकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंक पूर्णतः सी॰बी॰एस॰ प्रणाली में कार्यरत है तथा अपने ग्राहकों को एन॰ई॰एफ॰टी॰, आर॰टी॰जी॰एस॰, आई॰एम॰पी॰एस॰ रूपे कॉर्ड तथा ए॰टी॰एम॰ आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में 136 ए॰टी॰एम॰ तथा 715 माईको ए॰टी॰एम॰ की स्थापना की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/के॰सी॰सी॰ कॉर्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए॰टी॰एम॰ कॉर्ड वितरित किया गया है। मोबाईल ऐप के द्वारा घर बैठे अभिकर्ता के माध्यम से दैनिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता में जमा का सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। जमा राशि पर तत्काल 75 प्रतिशत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पैक्सों को भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है, जिसके लिए नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० में तकनिकी कोषांग गठित किया जा रहा है, जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की तकनिकी समस्याओं का समाधान करेगा। ग्राहकों को पेमेन्ट वॉलेट, एवं नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए बैंक तत्पर है। राज्य सहकारी बैंक से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ संचार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से वीडीयो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था भी प्रक्रियाधीन है।

II. ई–ऑफिस क्रियान्वयन

सहकारिता विभाग बिहार राज्य का पहला विभाग है जिसके द्वारा ई–ऑफिस के माध्यम से संचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है। ई–ऑफिस की यह महत्त्वपूर्ण पहल डिजिटल इंडिया तथा बिहार राज्य ई–गवर्नेंस का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। सहकारिता विभाग के सरकार प्रभाग में ई–ऑफिस को 16 जून, 2020 से औपचारिक रूप से विभागीय सचिव, श्रीमती बन्दना प्रेयषी के द्वारा उद्‌घाटित किया गया।

ई–ऑफिस के क्रियान्वयन के पश्चात् विभाग की कार्य संस्कृति में निम्नलिखित परिवर्तन आए हैं:

(i) संचिकाओं के निष्पादन की गति काफी तेज हो गयी है तथा एक ही दिन के अंदर संचिकाओं का निष्पादन संभव हो गया है।

(ii) संचिकाओं को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल गया है। बहुत बार अनुसेवकों की अनुपस्थिति में संचिकाओं का आवागमन अनावश्यक बाधित होता था।

(iii) संचिकाओं में रक्षित पुरानी टिप्पणी एवं पत्राचार के नष्ट होने, खराब होने एवं गायब होने के खतरे पर काबू पा लिया गया है।

(iv) कोविड के समय में ई–ऑफिस के माध्यम से संचिकाओं के निष्पादन से संक्रमण का खतरा कम हुआ है।

(v) विभाग में प्राप्त पत्रों के निष्पादन का कार्य भी ई–ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है।

(vi) ई–ऑफिस मौलिक रूप से पर्यावरण हितैषी है तथा कागज की अनावश्यक खपत को कम करने की दिशा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम है।

(vii) वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय में नहीं रहने पर भी संचिकाओं के निष्पादन में विलम्ब नहीं होता है। कालान्तर में आवश्यकता पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा को ई–ऑफिस के माध्यम से मूर्त्त रूप दिया जा सकता है।

(viii) ई–ऑफिस का अनुश्रवण वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अत्यन्त सुगमता से किया जा सकता है, जिसके कारण यह पूर्ण रूप से पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

(ix) ई–ऑफिस बिहार सरकार के स्टेट डाटा सेन्टर के सर्वर पर हॉस्टेड है जो डाटा सिक्यूरिटि एवं डाटा बैकअप सुनिश्चित करता है।

III. धान अधिप्राप्ति :

प्रत्येक वर्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों से धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों तथा व्यापारमंडलों द्वारा खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पैक्स तथा व्यापार मंडल द्वारा किसान से धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का समावेश किया गया।

परन्तु वर्ष 2015–16 से राज्य के किसानों से धान खरीदगी के लिए आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से इस कार्य के लिए एक वेब एप्लीकेशन तथा मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कराया गया तथा उसी वर्ष से मोबाईल के माध्यम से धान की खरीदगी शुरू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था में काफी पारदर्शिता आई। धान खरीदारी के पूर्व किसानों का ऑनलाईन निबंधन कराकर उनके क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत पैक्स / व्यापार मंडल को उनसे टैग किया गया तथा निर्धारित तिथि को उनसे धान क्रय करने के लिए उक्त संबंधित पैक्स में निबंधन के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के खाते में किया जा रहा है। उक्त सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय, जिला तथा प्रखंड स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। सारे प्रतिवेदनों को रियल टाईम में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के ऑनलाईन निराकरण के लिए हेल्प लाईन नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसानों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

IV. पैक्सों में सदस्यता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाईन ऐप्प विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं। चूँकि पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी है, अतः आवश्यक है कि पैक्स के सदस्य बनने की प्रक्रिया सहज हो तथा पुरी प्रक्रिया का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा सके। पैक्सों में ऑनलाईन सदस्यता दिलाने हेतु विभाग के पहल पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन पद्धति से पैक्स में सदस्यता आवेदन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित कराया गया जिसका लोकापर्ण 05 सितम्बर 2017 से पूरे राज्य में माननीय मंत्री सहकारिता द्वारा किया गया। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी वैध पात्र, निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपने पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पैक्स में सदस्यता पा सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय तथा जिला स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। किसानों को सदस्यता हेतु आवेदन देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया गया है।

V. बिहार राज्य फसल सहायता योजना :

बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य के किसानों को फसल में हुई क्षति की भरपाई करने हेतु खरीफ तथा रबी के फसल के लिए रैयत एवं गैर–रैयत तथा दोनो प्रकार के किसानों के लिए वर्ष 2018 से राज्य में लागू की गई है। इसके लिए राज्य के दोनों प्रकार के कृषको से प्रीमियम मद में कुछ भी राशि देय नहीं होती है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम किसानों को कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या के द्वारा विभागीय पोर्टल पर निबंधन कराना होता है, तदोपरान्त इससे संबंधित मूलभूत जानकारियों को पोर्टल पर अपलोड करना होता है। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को संबंधित जिला एवं प्रखंड स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का ऑनलाईन मोबाईल एप्प द्वारा सत्यापन कराया जाता है। उसके बाद अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्राप्त उक्त वर्ष फसल कटनी आकंड़ों के आधार पर संबंधित क्षेत्र में हुई फसल की क्षति का आकलन साफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर हुई फसल क्षति पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार मानदेय को ऑनलाईन सीधे निबंधित किसान के बैंक खातें में DBT के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है।

NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा E–Governance के लिए award of excellence प्रदान किया गया।

VI. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना :

राज्य के सभी 8463 पैक्सों में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (NCDC) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय सहायता के आधार पर सम्पोषित "मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना" लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पैक्स को कृषि सयंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस हेतु सभी इच्छुक पैक्सों को ऑनलाईन भारत सरकार द्वारा निर्मित GEM पोर्टल पर निबंधन करा कर चयनीत कृषि सयंत्र को GeM पोर्टल पर BID द्वारा क्रय किया जाएगा। इस योजना के तहत क्रय तथा भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पुर्ण रुप से ऑनलाईन है।

VII. पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण योजना :

पैक्सों में समान लेखा प्रणाली (CAS) लागू है। CAS को सुगम बनाने तथा समितियों के कामकाज में पारदर्शीता तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से पैक्सों के कम्प्यूटरीकण की योजना है। इस योजना के तहत

चयनीत पैक्सों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराया जाएगा। पैक्सों के कार्यकलापों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से संचालन करना होगा।

VIII. सहकारी समितियों का निबंधन :

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के तहत सहकारी समितियों के निबंधन हेतु On-Line आवेदन की प्राप्ति एवं Online निष्पादन की सुविधा विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए सहकारी समिति गठित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति सहकारिता विभाग, बिहार के अधिकारिक बेवसाइट Cooperative.bih.nic.in पर जाकर अपना User ID एवं पासवर्ड बनाने के पश्चात् सहकारी समिति के निबंधन हेतु आवेदन एवं अन्य कागजात Online समर्पित कर सकते है। निबंधन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् समिति का निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन अस्वीकृति की दशा में अस्वीकृति पत्र आवेदक Online विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

IX. अंकेक्षण :

समिति के अंकेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए अंकेक्षण की प्रक्रिया को Online कर दिया गया है। Online Audit app के माध्यम से समितियों से संबंधित डाटा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अपलोड कराया जा रहा है। जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति का प्रभावी अनुश्रवण तथा अंकेक्षण में पारदर्शिता लाया जा सकेगा।

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदुर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सूहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुकुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, आद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर "धुरद" शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰

iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰

iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

v. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

vi. व्यापार मंडल

परिशिष्ट – II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या

1.	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	–	8,463
2.	व्यापार मंडल सहयोग समिति	–	521
3.	सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक)	–	1,874
4.	प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति	–	473
5.	बचत एवं साख सहयोग समिति	–	327
6.	गृह निर्माण सहयोग समिति	–	2,741
7.	औद्योगिक सहयोग समिति	–	2,647
8.	विशेष प्रकार की सहकारी समिति	–	393
9.	कुक्कुटपालन सहयोग समिति	–	237
10.	शीत भंडार सहकारी समिति	–	50
11.	श्रमिक सहकारी समिति	–	4,577
12.	ग्रामोदय सहकारी समिति	–	844
13.	महिला विकास सहयोग समिति	–	430
14.	बुनकर सहयोग समिति	–	1,089
15.	प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ	–	172
16.	फलसब्जी उत्पादक सहयोग समिति	–	342
17.	तेल उत्पादक सहयोग समिति	–	474
18.	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	–	4,279
19.	ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समिति	–	76
20.	सिंचाई सहयोग समिति	–	557
21.	संयुक्त कृषि सहयोग समिति	–	406
22.	नाव यातायात सहयोग समिति	–	89
23.	चर्मकार सहयोग समिति	–	187
24.	परिवहन सहयोग समिति	–	172
25.	सर्वोदय सहयोग समिति	–	54
26.	प्राथमिक मधुमक्खी पालन शहद उत्पादक प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लि.	–	01
27.	सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समिति	–	7887
	कुल	–	39,362

(नोटः पैक्स, व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

परिशिष्ट – III

गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या

क्रं.	जिला	2010–11	2011–12	2012–13			2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18	2018–19			2019–20			कुल
				1000 मे॰ट॰	500 मे॰ट॰	200 मे॰ट॰	200 मे॰ट॰	500 मे॰ट॰	200 मे॰ट॰	500 मे॰ट॰	200 मे॰ट॰	500 मे॰ट॰	200 मे॰ट॰	500 मे॰ट॰	200 मे॰ट॰	1000 मे॰ट॰	500 मे॰ट॰	200 मे॰ट॰	1000 मे॰ट॰	500 मे॰ट॰	200 मे॰ट॰	
1	बाँका	2	20	2	-	20	12	-	12	-	28	2	7	-	11			7	-	2	3	123
2	भागलपुर	-	2	2	2	19	4	-	33	-	6	-	12	1	8			10	-	-	-	99
3	समस्तीपुर	3	-	3	6	50	45	-	38	2	32	3	13		20	1	1	25	4	-	1	242
4	दरभंगा	-	-	3	1	3	30	-	34	4	16	1	12		7				-	-	-	111
5	मधुबनी	-	-	7	4	33	31	-	21	-	2	-	17		-		6	25	-	2	4	146
6	गया	-	-	-	-	32	86	9	42	5	13	-	10	1	12		3	2	-	-	-	215
7	नवादा	2	-	2	-	30	60	-		-	17	6	11		4			3	-	-	2	135
8	औरंगाबाद	1	38	12	10	67	20	-	29	-	-	-			-				-	-	-	177
9	जहानाबाद	-	-	-	-	15	17	-	31	6	-	-			-				-	-	-	69
10	अरवल	-	-	2	2	12	-	-	6	-	-	-	7		7			3	-	-	3	39
11	लखीसराय	5	3	1	-	11	-	-	10	3	3	-	2		2		3	7	-	-	-	50
12	बेगूसराय	-	5	2	4	24	10	-	7	-	26	3	5		-				-	-	-	86
13	मुंगेर	-	-	-	-	27	-	-	4	-	1	-	7		1			8	-	1	-	48
14	जमुई	-	-	2	7	8	37	-	37	3	9	-	4		4		2	11	-	-	-	124
15	शेखपुरा	-	-	1	-	18	1	-	3	3	7	-	1		2		1	1	-	-	-	37
16	खगडिया	-	-	2	-	-	-	-	11	-	2	1	5		-		1	1	1	1	-	23
17	सीवान	20	-	2	4	20	51	-	9	-	10	-	8		13		2	19	-	1	7	158
18	गोपालगंज	4	-	-	5	20	-	-	34	-	1	-	4		6		1	12	-	-	-	87
19	सारण	-	8	-	2	17	-	3	3	1	8	-	20		25		7	9	-	3	4	103
20	रोहतास	10	16	5	-	40	76	4	1	2	16	8	14		11	1	5	6	-	-	7	215
21	भोजपुर	6	9	4	-	30	-	2	8	4	8	1	6		8		1	9	-	-	-	96
22	पटना	19	-	1	1	50	32	1	10	-	18	4	13		23	3	6	15	1	2	2	196
23	कैमूर	12	-	-	1	-	-	-	8	-	45	5	5		3	5	13	8	1	-	1	105
24	नालन्दा	8	-	8	2	-	-	2	1	1	-	-	7		14		1	7	-	2	3	51
25	बक्सर	-	3	-	1	28	45	-	2	-	-	-	5		-		3	2	-	-	-	89
26	मुजफ्फरपुर	15	7	4	7	53	53	6	7	-	14	-	16		11	6	4	13	2	2	4	216
27	बेतिया	11	-	6	-	20	39	5	1	10	1	-	10		-				-	-	-	103
28	वैशाली	2	-	3	1	-	-	-	5	2	37	2	5		33	5	1		3	2	-	95
29	मोतीहारी	-	-	5	1	20	24	-	-	-	3	1	26		2			3	1	1	1	85
30	सीतामढ़ी	-	-	1	-	20	22	1	33	2	52	3	4		7		2	14	1	3	-	161
31	शिवहर	-	-	-	1	-	-	-	3	-	22	1			-				4	-	-	27
32	सुपौल	-	8	4	2	21	47	2	14	1	7	1	4		6	5	1	8	-	-	-	130
33	मधेपुरा	-	-	3	3	20	19	3	11	1	1	-	7		15	1	5	2	2	-	-	91
34	सहरसा	-	-	1	-	11	55	-	-	1	-	-	6	1	11	5	11	11	2	4	-	113
35	पूर्णिया	-	12	5	1	20	20	-	-	-	-	-	9		-				3	-	-	67
36	अररिया	-	-	3	2	20	6	-	52	4	-	-	5		5			9	2	3	-	106
37	कटिहार	-	-	2	1	10	25	2	15	-	-	-	11		1	1	2	16	-	-	-	86
38	किशनगंज	-	-	2	7	30	17	-	-	-	-	-	3	-	5			8	-	-	-	72
	कुल	120	131	100	78	819	884	40	535	55	405	42	301	3	277	33	82	274	27	29	42	4176

चावल मिल.सह.गैसीफायर एवं विद्युत आधारित चावल मिल (2MT) निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या

क्रं.	जिला	2008–09	2010–11	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स/ व्यापार मंडल	पैक्स/ व्यापार मंडल	पैक्स/ व्यापार मंडल	पैक्स/ व्यापार मंडल	
1	बाँका	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	12
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	13
3	समस्तीपुर	-	2	2	-	3	1	-	-	3	1	-	6	-	-	18
4	दरभंगा	-	1	1	1	2	-	3	1	1	-	-	2	-	-	12
5	मधुबनी	-	1	1	1	4	1	1	-	1	-	-	2	-	-	12
6	गया	2	2	2	-	3	-	1	-	-	2	-	7	-	-	19
7	नवादा	1	1	1	-	-	-	-	-	6		-	2	-	-	11
8	औरंगाबाद	3	6	7	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	26
9	जहानाबाद	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	7
10	अरवल	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
11	लखीसराय	-	3	1	-	2	-	1	-	3	-	-	1	-	-	11
12	बेगूसराय	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4
13	मुंगेर	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
14	जमुई	-	-	2	-	4	1	-	3	2	-	-	2	-	-	14
15	शेखपुरा	-	-	2	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-	9
16	खगड़िया	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
17	सीवान	3	4	2	-	3	1	-	-	2	-	-	1	-	-	16
18	गोपालगंज	-	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-	4	-	-	14
19	सारण	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	5	-	-	10
20	रोहतास	2	3	5	1	3	-	14	3	16	5	-	6	-	-	58
21	भोजपुर	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	15
22	पटना	3	2	1	-	-	-	1	-	3	-	-	7	-	-	17
23	कैमूर	2	4	1	-	1	-	6	-	5	-	-	6	-	-	25
24	नालन्दा	-	3	6	1	4	-	5	-	-	-	-	5	-	-	24
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	4	-	-	-	-	-	1	-	17
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	-	4	-	-	-	3	-	-	2	-	-	15
27	बेतिया	1	4	2	1	2	-	6	-	-	-	-	-	1	-	17
28	वैशाली	2	3	3	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	14
29	मोतीहारी	3	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	4	-	-	14
30	सीतामढ़ी	2	3	1	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	14
31	शिवहर	-	-	1	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	8
32	सुपौल	1	1	1	-	1	1	3	1	5	-	-	3	-	-	17
33	मधेपुरा	-	2	2	-	5	-	1	-	-	-	-	2	-	-	12
34	सहरसा	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	2	-	-	8
35	पूर्णियाँ	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	2	-	-	11
36	अररिया	-	-	2	-	3	-	2	-	5	1	-	3	-	-	16
37	कटिहार	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	7
38	किशनगंज	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	8
	कुल	40	58	73	10	94	11	60	9	74	11	0	93	6	.	539

परिशिष्ट – IV

विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना

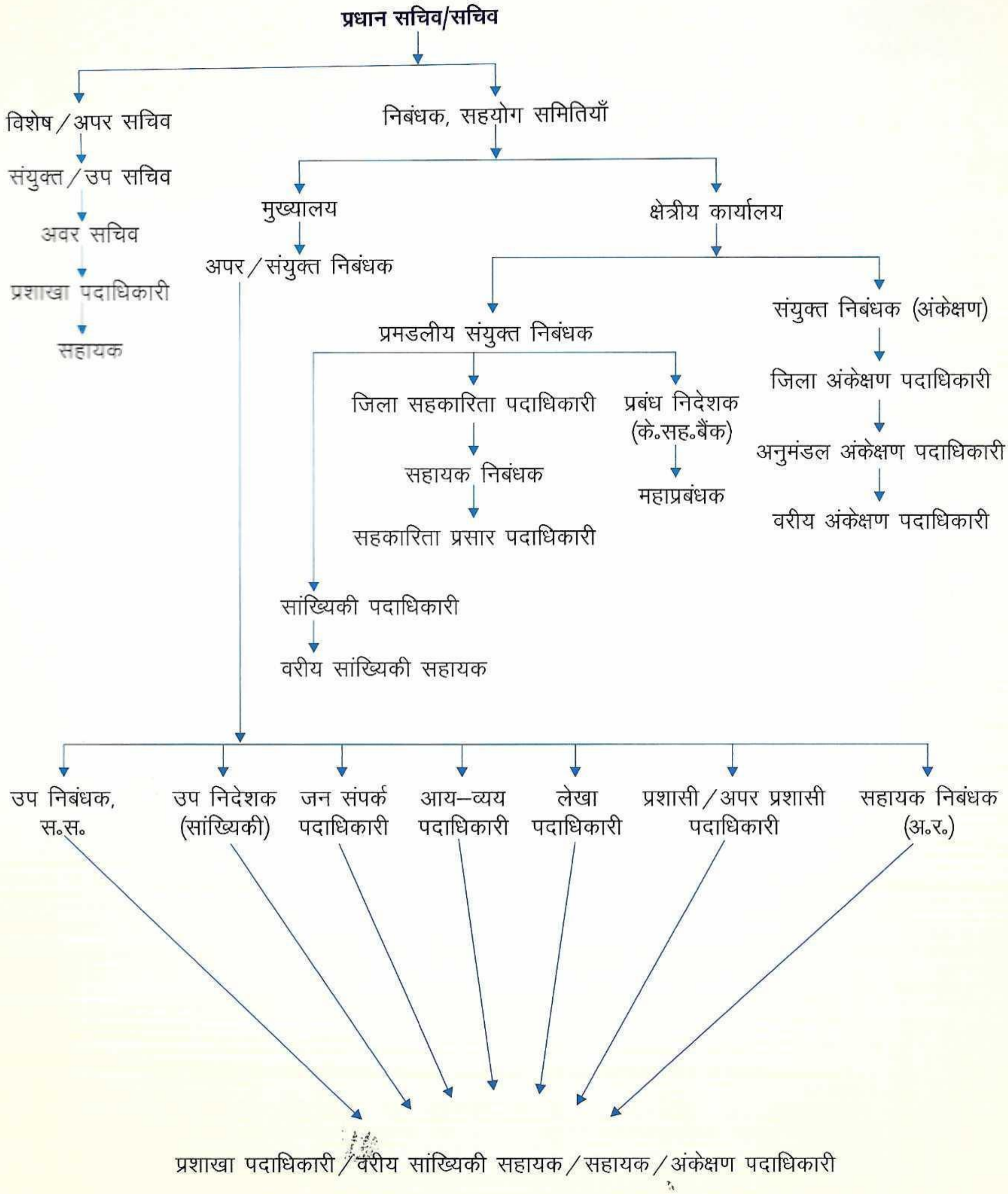

परिशिष्ट – V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1 पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौढ़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालंदा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		4. रोहतास
	6. कैमूर	13. कैमूर		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	5. गया
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		
	9. अरवल	17. अरवल		
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		6. औरंगाबाद
	11. नवादा	19. नवादा		7. नवादा

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	8. मुजफ्फरपुर
		21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी		
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		9. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी		10. सीतामढ़ी
		24. पुपरी		
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी		11. मोतिहारी
		27. सिकरहना		
	17 बेतिया	28. बेतिया		12. बेतिया
		29. बगहा		
4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	13. दरभंगा
		31. बेनीपुर		
	19. मधुबनी	32. मधुबनी		14. मधुबनी
		33. झंझारपुर		
		34. बेनीपट्टी		
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर		15. समस्तीपुर
		36. दलसिंहसराय		
		37. रोसड़ा		
		38. पटोरी		

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण	39. छपरा 40. सोनपुर	5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	16. सारण
	22. सिवान	41. सिवान		17. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज		18. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19. भागलपुर
	25. बांका	45. बांका		
	26. मुंगेर	46. मुंगेर		20. मुंगेर
	27. जमुई	47. जमुई		
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा		
	29. लखीसराय	49. लखीसराय		
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय		21. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया		22. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. बीरपुर 54. त्रिवेणीगंज	7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	23. सहरसा
	33. सुपौल	55. सुपौल		
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		24. पूर्णियाँ
	36. अररिया	59. अररिया		
	37. किशनगंज	60. किशनगंज		
	38. कटिहार	61. कटिहार		25. कटिहार

रोहतास जिला के मुरादाबाद पैक्स के नवनिर्मित गोदाम का उद्घाटन

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, मधुबनी के प्रधान कार्यालय
की एक झलक

एक सब के लिए, सब एक के लिए

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग
बिहार सरकार

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com